सत्यमेव जयते

भारत सरकार

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय

कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड

కృష్ణానది యాజమాన్య బోర్డు

नीलम संजीव रेड्डी सागर (श्रीशैलम) परियोजना

वार्षिक प्रतिवेदन

2017 - 18

डॉ. के एल राव सागर पुलिचिंतला परियोजना

भारत सरकार

Government of India

భారత ప్రభుత్వం

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय

Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation

జలవనరులు, నది అభివృద్ధి మరియు గంగా పునరుద్ధీకరణ మంత్రిత్వశాఖ

कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड

Krishna River Management Board

కృష్ణా నది యాజమాన్య బోర్డు

वार्षिक प्रतिवेदन
2017-18

प्रस्तावना

कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की पूर्व की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है।यह आंध्र प्रदेशऔर तेलंगाना (तत्कालीन आंध्र प्रदेश) राज्यों के लिए पानी के सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है। तदनुसार, कई प्रमुख और मध्यम सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाएं कृष्णा नदी के पानी के लाभकारी उपयोग के लिए तत्कालीन आंध्र प्रदेश में चालू की गई। उनमें से जुराला, श्रीशैलम, नागार्जुन सागर और प्रकाशम बैराज मुख्य हैं । उक्त परियोजनाएं पीने के पानी और सिंचाई की जरूरतों को पूरा करने के अलावा, हाइड्रो पावर भी उत्पन्न करती हैं।

कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड (KRMB) आंध्रप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम- 2014 के अनुसार तत्कालीन आंध्र प्रदेश के दो नए राज्यों, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के रूप में विभाजने के परिणामस्वरूप जून 2014 में अस्तित्व में आया। अधिनियम के अनुसार, केआरएमबी के कार्य ऐसी परियोजनाओं के प्रशासन, विनियमन, रखरखाव और संचालन हैं, जिन्हें समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।

एपी पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 87 (1) के अनुसार, बोर्ड आमतौर पर कृष्णा नदी पर किसी भी परियोजना के हेडवर्क्स (बैराज, बांध, जलाशय, विनियमन-संरचना), नहर नेटवर्क, ट्रांसमिशन लाइनों का हिस्सा, जो संबंधित राज्यों को पानी या बिजली पहुंचाने के लिए आवश्यक हो,और न्यायाधिकरण के आवंटनो को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया हो, पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करेगा ।वर्तमान मे अधिकार क्षेत्र की अधिसूचना के अभाव में, KRMB दो साझा परियोजनाओं जैसे श्रीशैलम और नागार्जुन सागर से दोनों राज्यों को पानी की आपूर्ति के लिए पारस्परिक रूप से सहमत तदर्थ (ad-hoc) व्यवस्था के आधार पर पानी की आपूर्ति को विनियमित कर रहा है।

केआरएमबी ने दोनों नव निर्मित राज्यों, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच उपरोक्त दो परियोजनाओं से कृष्णा जल के उचित विनियमन में हमेशा अग्रणीय भूमिका निभाई

है। अपने कार्यों के अतिरिक्त बोर्ड ने दोनों राज्यों के जल संसाधन विभागों एवं जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय के बीच खुद को एक प्रभावी पुल के रूप में स्थापित किया है।

जल वर्ष 2017-18 के दौरान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए क्रमशः 66:34 के अनुपात में पानी के सहमत बंटवारे को ध्यान में रखते हुए दो साझा परियोजनाओं श्रीशैलम और नागार्जुन सागर से पानी छोड़ने के दस (10) आदेश जारी किए गए। उपरोक्त के अलावा, सचिव, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लिए गए निर्णय और बोर्ड द्वारा किए गए निर्धारण के अनुसरण में 18 टेलीमेट्री स्टेशन पहले चरण में स्थापित किए गए हैं। बोर्ड टेलीमेट्री स्टेशनों के नेटवर्क को द्वितीय चरण में और विस्तारित करने की प्रक्रिया में है।

मुझे 2017-18 की इस वार्षिक रिपोर्ट को प्रस्तुत करने में अत्यंत खुशी महसूस हो रही है। इस रिपोर्ट को प्रत्येक महत्वपूर्ण मुद्दों पर विवरण के साथ 11 अध्यायों में विभाजित किया गया है। मुझे उम्मीद है कि यह रिपोर्ट अपने पाठकों की अपेक्षाओं को पूरा करेगी। इस रिपोर्ट को भविष्य में और बेहतर बनाने के लिए इसकी सामग्री / प्रस्तुतियों से सम्बंधित किसी भी प्रकार के सुझाव आमंत्रित हैं। मैं श्री ए परमेशम्,सदस्य सचिव; श्री एच के मीणा, सदस्य; श्री टी वेंकटेश्वरलु; पूर्व सदस्य (पावर); श्री चौ के मल्लेश्वर राव, निदेशक (वित्त); श्री के श्रवण कुमार रेड्डी; अधीक्षण अभियंता; श्री सी महेंदर, अधीक्षण अभियंता; श्री डी अशोकन, उप निदेशक; श्री एम वेणुगोपाल, D.E.E./D.D.O; श्रीमती आई सुजाता, ए.ई.ई. एवं केआरएमबी के अन्य अधिकारी और कर्मचारियों को इस वार्षिक रिपोर्ट को प्रकाशित करने में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता हूं।

(आर.के.जैन)

अध्यक्ष, केआरएमबी

प्राक्कथन

आंध्रप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम- 2014 के तहत एमओडब्ल्यूआर, आरडी और जीआर की अधिसूचना के अनुसार 28 मई, 2014 को केआरएमबी को केंद्र सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में गठित किया गया था। अन्य बातों के साथ, बोर्ड के प्राथमिक कार्यों में निम्लिखित कार्य शामिल हैं-

(क) नव निर्मित राज्यों, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को परियोजनाओं से पानी की आपूर्ति का विनियमन निम्लिखित को ध्यान में रखते हुए करना।

(i) न्यायाधिकरण द्वारा प्रदान किए गए आवंटन।

(ii) किसी भी प्रकार का समझौता या बनाई गई व्यवस्था।

(ख) उत्पन्न बिजली की आपूर्ति का विनियमन।

परियोजनाओं से पानी की आपूर्ति के विनियमन का कार्य नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय द्वारा गठित तीन सदस्य समिति के एक तंत्र द्वारा बोर्ड द्वारा किया गया, जिसमें सदस्य सचिव- केआरएमबी, इंजीनियर-इन-चीफ (I & CAD), तेलंगाना और इंजीनियर-इन-चीफ, WRD, आंध्र प्रदेश, शामिल हैं। दो सामान्य जलाशयों अर्थात्, श्रीशैलम और नागार्जुन सागर से पानी लेने वाली योजनाओं / परियोजनाओं, के संबंध में, जैसा कि दोनों राज्यों द्वारा पारस्परिक रूप से तदर्थ आधार पर सहमति है, साझा किए जाने वाले पानी की मात्रा के आधार पर बोर्ड द्वारा पानी छोड़ने के आदेश जारी करके विनियमन किया जाता है।

एपी पुनर्गठन अधिनियम-2014 के अनुसार दोनों नव निर्मित राज्यों की सरकारों को सभी खर्चों को पूरा करने के लिए बोर्ड को आवश्यक धन उपलब्ध कराना होता है।तदनुसार, वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान दोनों नव निर्मित राज्यों ने केआरएमबी को आवश्यक धन उपलब्ध कराया है। वित्त वर्ष 2017-18 में कुल व्यय 379.69 लाख रुपये था।

वर्ष 2017-18 के दौरान दिनांक22-08-2017 और 04-11-2017 को बोर्ड की दो बैठकें (छठी और सातवीं) आयोजित की गईं।उन बैठकों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए

जैसे कि दोनों राज्यों द्वारा साझा किए जाने वाले पानी का अनुपात, बजट स्वीकृति, केआरएमबी के अध्यक्ष के अधिकार, जल अनुमान और लेखांकन से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए तकनीकी समितियों का गठन,टेलीमेट्री सिस्टम का कार्यान्वयन, आदि।

कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड की 2017-18 की इस वार्षिक रिपोर्ट में बोर्ड का अवलोकन, बोर्ड के कार्य, बोर्ड द्वारा किए गए विभिन्न तकनीकी और प्रशासनिक गतिविधियों का विवरण आदि शामिल हैं।

मैं श्री आर.के. जैन, अध्यक्ष, के.आर.एम.बी. के प्रति उनके व्यावहारिक मार्गदर्शन और इस वार्षिक रिपोर्ट को तैयार करने में उनके नए दृष्टिकोण के लिए आभार व्यक्त करता हूं। मैं श्री चौ के मल्लेश्वर राव, निदेशक (वित्त); श्री के श्रवण कुमार रेड्डी, अधीक्षण अभियंता; श्री सी महेंदर, अधीक्षण अभियंता और वे सभी कर्मचारी जिन्होंने इस रिपोर्ट को बनाने में योगदान दिया हैं, उन सबकी प्रशंसा करता हूं।

ए. परमेशम

(ए. परमेशम)

सदस्य सचिव, केआरएमबी

भूमिका

कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड (केआरएमबी) का गठन आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम-2014 के अनुसार केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक स्वायत्त निकाय के रूप मेंनव निर्मित आंध्रप्रदेश और तेलंगाना राज्यों को पानी और बिजली का उचित और समान वितरण के लिए कृष्णा नदी के प्रबंधन के लिए किया गया है।

कृष्णा नदी का डेल्टा अत्यधिक उपजाऊ और बहुत बड़ा है, जो उत्तर-पूर्व में गोदावरी नदी के डेल्टा से लगता है।कृष्णा नदी इस बेसिन में सिंचाई, पीने और औद्योगिक उपयोग के लिए पानी उपलब्ध कराती है।चूंकि, इस नदी में मौसमी मानसून की बारिश से ही पानी आता है,इसलिये वर्ष के दौरान नदी के प्रवाह में बहुत उतार-चढ़ाव आते हैं। इसलिए, रेग्युलेटिंग स्ट्रक्चर्स द्वारा इसके पानी का प्रबंधन अति महत्वपूर्ण है। पानी के लेखांकन के कुशल और प्रभावी स्वचालन के लिए, KRMB तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पानी की माप के लिए टेलीमेट्री स्टेशनों की स्थापना की प्रक्रिया में है।

चूंकि केंद्र सरकार द्वारा अधिकार क्षेत्र को अधिसूचित किया जाना बाकी है, इसलिए केआरएमबी दो सामान्य परियोजनाओं; श्रीशैलम और नागार्जुन सागर से दोनों राज्यों को पानी छोड़ने के आदेश पारस्परिक रूप से सहमत तदर्थ व्यवस्था के आधार पर जारी करके पानी की आपूर्ति को विनियमित कर रहा है। पिछले 3 वर्षों से कृष्णा नदी में कम प्रवाह की वजह से, KRMB ने आबादी की बढ़ती जरूरतों और विकास के मद्देनजर पानी के इष्टतम प्रबंधन की आवश्यकता पर जोर दिया है जिससे दोनों राज्यों के सदस्यों के सहयोग से सिंचाई और पीने के पानी की जरूरतें कमोबेश पूरी हुई हैं।

इस रिपोर्ट को अपने संशोधित प्रारूप में तैयार करने के लिए उनके बहुमूल्य सुझावों और मार्गदर्शन के लिए श्री आर के जैन, अध्यक्ष, के.आर.एम.बी. का मैं हार्दिक रूप से आभार व्यक्त करता हूं।

मैं केआरएमबी के अधिकारियों और कर्मचारियों, विशेष रूप से श्री सी महेन्द्रा, अधीक्षण अभियंता और श्री डी अशोकन, उप निदेशक को इस रिपोर्ट को बनाने में उनके प्रयासों

एवं श्री के श्रवण कुमार रेड्डी, अधीक्षण अभियंता और अन्य कर्मचारियों को उनके समर्थन के लिए उनकी सराहना करता हूं।

यह रिपोर्ट अंतर-राज्य जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में प्रशासकों और योजनाकारों को एक अवलोकन प्रदान करने का प्रयास मात्र है।

इस रिपोर्ट में सुधार के लिए इसकी सामग्री एवं कवरेज दोनों के संबंध में किसी भी तरह के सुझाव स्वागत योग्य हैं।

जय हिन्द।

(एच के मीणा)

सदस्य, केआरएमबी

विषय सूची

अध्यय सं.	नाम	पृष्ट
1	कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड का अवलोकन	1
2	कृष्णा नदी	4
3	कृष्णाजल विवाद अधिकरण	10
4	बोर्ड के कार्य	15
5	बोर्ड का कार्यालय	18
6	बैठक एवं अनुवर्ती कार्रवाही	23
7	तकनीकी गतिविधियाँ	29
8	बजट और व्यय	39
9	कार्य नियमावली एवं अधिकार क्षेत्र	41
10	संसदीय प्रश्न, आरटीआई,अ.वि.व्य संदर्भएवं न्यायिक मामलें	43
11	अन्य गतिविधियां	44
	अनुलग्नक 1.1	52
	अनुलग्नक 1.2	56
	अनुलग्नक 3.1	58
	अनुलग्नक 4.1.1	65
	अनुलग्नक 4.1.2	67
	अनुलग्नक 5.1	69
	अनुलग्नक 7.2	70
	अनुलग्नक 7.3.1	71
	अनुलग्नक 7.3.2	72
	अनुलग्नक 7.6	74
	अनुलग्नक ए: प्रियदर्शिनी जूराला परियोजना कीमुख्य विशेषताएं	76
	अनुलग्नक बी: नीलम संजीव रेड्डी सागर परियोजना (श्रीशैलम) की मुख्य विशेषताएं	79
	अनुलग्नक सी: नागर्जुनसागर परियोजना की मुख्य विशेषताएं	82
	अनुलग्नक डी: प्रकाशम बराज की मुख्य विशेषताएं	86
	कृष्णा बेसिन में हाइड्रोलॉजिकल स्टेशनों को अवलोकन कराने वाले मानचित्र	88
	कृष्णा नदी के प्रमुख विद्युत परियोजनाओं का विवरण	

प्रतिवेदन में प्रयुक्त संकेताक्षर

एएमआरपी	एलीमीनेटी माधवरेड्डी परियोजना
एपी	आंध्रप्रदेश
एपीआरए2014	आंध्रप्रदेशपुनर्गठन अधिनियम 2014
सीइए	केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण
सीजीजी	केंद्रीय सुशासन
सीवीसी	केंद्रीय अन्वेषण आयोग
सीड्ब्यूसी	केंद्रीय जल आयोग
डीपीआर	विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन
एफआरएल	पूर्ण जलाशय स्तर
जीड्ब्यूडीटी	गोदावरी जल विवाद प्राधिकरण
एचएनएसएस	हंद्री नीवा सुजला स्रवंती
आई&सीएडी	सिंचाई और नियंत्रण क्षेत्र विकास
आईएसड्ब्ल्यूडीए	अंतर राज्य जल विवाद अधिनियम
केआरएमबी	कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड
केड्ब्ल्यूडीटी	कृष्णाजल विवाद प्राधिकरण
एलआईएस	लिफ्ट सिंचाई योजना
एलएमसी	बाईं मुख्य नहर
एमडीडीएल	न्यूनतम खींचाई स्तर
एमओड्ब्यूआर	जलसंसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय
एमडब्यल्यू	मेगावाट
एनआईएच	राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान
एनआरएसी	राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र
एनएसपी	नागार्जुन सागर परियोजना
एनएसआरएसएसपी	नीलम संजीवा रेड्डी सागर श्रीशैलम परियोजना
आरजी&जीआर	नदी विकास&गंगा संरक्षण
आरडीएस	राजोलीबंडा परिवर्तन योजना
आरएमसी	दाईं मुख्य नहर
अरटीआई	सूचना अधिकार
एससीएडीए	पर्यवेक्षी नियंत्रण और डाटा अधिग्रहण
टीएमसी	हजार मिलियन क्यूबिक फीट (2831 एचएएम)
टीएस	तेलंगाना राज्य
डब्ल्यूआरडी	जल संसाधन विभाग

अध्याय 1

कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड – एकपरिदृश्य

1.1 कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड (कृ.न.प्र.बो) का गठन

तत्कालीन आंध्रप्रदेश कोतेलंगाना और आंध्रप्रदेश राज्यों केरूप में विभाजित करने के लिएकेंद्र सरकार द्वारा आंध्रप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम–2014 संसद में लाया गया तथा कानून एवं न्याय मंत्रालय द्वारा राष्ट्रपति के आदेश के तहत वर्ष 2014 के राजपत्र संख्या 6(भाग-2) के द्वारा दिनांक 1, मार्च 2014 को यहअधिनियम प्रकाशित किया गया । इस अधिनियम का भाग **IX** नव निर्मित राज्यों के जल संसाधनों के प्रबंधन और विकास से संबंधित है।

पूर्ववर्ती आंध्रप्रदेश के विभाजन के परिणामस्वरूप दोनों नव निर्मित राज्यों आंध्रप्रदेश और तेलंगाना के बीच कृष्णा नदी के पानी का बटवारा कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण **(KWDT)** द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार करना अनिवार्य हो गयाथा।इसीलिए केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित परियोजनाओं के प्रशासन, विनियमन, रखरखाव और संचालन के लिए, आंध्रप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम की धारा 85 (भाग IX) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,28 मई, 2014 को केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय की अधिसूचना के द्वारा **कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड (KRMB)**का गठन एक स्वायत्त संस्था के रूप में केंद्र सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत किया गया है। अधिनियम के भाग- IX को यहाँ पुन: प्रस्तुत किया गया है और अनुलग्नक **- 1.1** के रूप में लगाया गया है।

जल संसाधन मंत्रालय द्वारा कृ.न.प्र.बो की अधिसूचना की एक प्रति अनुलग्नक **-1.2**के रूप में रखी गई है।

संक्षिप्त में KRMB की संरचना नीचे दी गई है:

(1)	केंद्रीय जल अभियांत्रिकी (समूह-ए) सेवा से भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव के स्तर का एक अधिकारी	अध्यक्ष
(2)	नव निर्मिततेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों में से प्रत्येक द्वारा नामित किए जाने वाले दो सदस्य, जिनमें से एक तकनीकी सदस्य जो मुख्य अभियंता के पद से नीचे का नहीं होगा और दूसरा प्रशासनिक सदस्य जो संबंधित राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए होगा।	सदस्य
(3)	सेंट्रल पावर इंजीनियरिंग (ग्रुप-ए) सेवा का एक विशेषज्ञ।	सदस्य
(4)	केंद्रीय जल अभियांत्रिकी (समूह-ए) सेवा एक अधिकारी जो मुख्य अभियंता के पद से नीचे का नहीं हो।	सदस्य सचिव

1.2 **मुख्यालय**

आंध्रप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम–2014 के अनुसार, कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड का मुख्यालय नव निर्मित आंध्र प्रदेश राज्य में होना है। हालाँकि, केआरएमबी के गठन के संबंध में जल संसाधन मंत्रालय की दिनांक28-05-2014 की अधिसूचना के अनुसार, बोर्ड का मुख्यालय वर्तमान में प्रशासनिक सुविधा के लिए हैदराबाद में है।

1.3 **बोर्ड के कर्मचारी / बोर्ड का स्टाफ़**

बोर्ड के कार्यों के कुशल निर्वहन के लिए आवश्यक स्टाफ़/ कर्मचारियों को आवश्यकता के अनुसार एपीआर अधिनियम, **2014** की धारा **86 (1)** के अनुसरण में नव गठित राज्यों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर इस अधिनियम के तहत दोनों राज्यों से **50:50** केअनुपात में नियुक्त किया है।

1.4 बजट निधि प्रावधान

आंध्रप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम–2014 की धारा **86 (2)** के अनुसार, बोर्ड को हर समय अपने सभी कार्यों के कुशलता पूर्वक निर्वहन के लिए आवश्यक धनराशि(कर्मचारियों के वेतन और भत्ते सहित) तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। यह राशि दोनों सम्बंधित राज्यों के बीच उनको होने वाले लाभों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा उल्लेखित अनुपात में साझा की जाएगी।

दिनांक 6 अगस्त 2014 को हैदराबाद में आयोजित गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड की पहली बैठक में जीआरएमबी और केआरएमबी बोर्ड्स के वित्तीय मामलों पर चर्चा की गई और निम्लिखित निर्णय लिए गए:

दोनों राज्यों के सदस्यों ने आश्वासन दिया कि बोर्डों द्वारा तुरंत काम शुरू करने के लिए शुरुआती राशि के रूप में दोनों राज्य सरकारें बोर्ड के लिए बराबर राशि जमा कर देंगी।

जब तक बोर्ड के खाते में धनराशि उपलब्ध नहीं कराई जाती है, तब तक आयोजित की जाने वाली बोर्ड और कार्य समूह की होने बैठकों के संबंध में यह सुझाव दिया गया था कि जीआरएमबी के बोर्ड और वर्किंग ग्रुप की बैठकों का खर्च तेलंगाना सरकार द्वारा किया जा सकता है और KRMB का खर्च आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जा सकता है, जिसे बाद में संबंधित बोर्डों के खाते में डेबिट किया जा सकता है।

तदनुसार, केआरएमबी के बजट को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाता रहा है और आंध्र प्रदेश सरकार शुरू में बोर्ड को धन उपलब्ध करा रही है और वित्तीय वर्ष के अंत में, आंध्र प्रदेश सरकार को तेलंगाना सरकार द्वारा उसके हिस्से की 50% अदायगी वापस की जाती रहीहै।

अध्याय- 2

कृष्ण नदी

2.1 परिचय

कृष्णा नदी गंगा, गोदावरी और ब्रह्मपुत्र के बाद भारत में जल प्रवाह और नदी बेसिन क्षेत्र के अनुसार देश की चौथी सबसे बड़ी नदी है। यह नदी लगभग 1,401 किलोमीटर (870 मील) लंबी है।इस नदी को कृष्णवेनी भी कहा जाता है। यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों के लिए सिंचाई का एक प्रमुख स्रोत है।

कृष्णा नदी का उदगम स्थल अरब सागर से लगभग 64 किलोमीटर पूर्वमें, 1,300 मीटर की ऊँचाई पर पश्चिमी घाटो की मनोरमछटाओं के बीच स्थित महाबलेश्वर (सतारा जिले के जोर गाँव), के पास महाराष्ट्र में है। यहां से निकलने के बाद यह नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर लगभग 1401 किलोमीटर की लंबी यात्रा करते हुए आंध्र प्रदेश में हमसलादेवी (कोडरु के पास), पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी में गिरती है।

इस नदी का डेल्टा भारत के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है और यहाँ प्राचीन सातवाहन और इक्ष्वाकु सूर्य वंश के राजाओं का निवास स्थान रहा है । विजयवाड़ा कृष्णा नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर है। मानसून की बाढ़ के दौरान यह नदी अक्सर 75 फीट (23 मीटर) से अधिक की गहराई तक तेजी से और उग्र रूप से बहती है और मिट्टी का भारी कटाव करती है। इसके विपरीत यह एक विडंबना ही है कि मराठी में एक कहावत है:"शांतवाहते कृष्णामाई"जिसका मतलब है- "कृष्णा शांत बहती है"।

कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी तुंगभद्रा है, जिसका जलग्रहण क्षेत्र 71,417 वर्गकिमी (27,574 वर्ग मील) है और लगभग 531 किमी (330 मील) लंबी है। लेकिन सबसे लंबी सहायक नदी भीमा नदी है जिसकी कुल लंबाई 861 किमी (535 मील) है और 70,614 वर्गकिमी (27,264 वर्ग मील) का एक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है। कृष्णा में शामिल होने वाली अन्य प्रमुख सहायक नदियाँ घाटप्रभा, मालप्रभाऔर मूसी नदी हैं।

तीनअन्य सहायक नदियाँ पंचगंगा, वार्ना और येरला सांगली के पास कृष्णा नदी में मिलती हैं। इन स्थानों को बहुत पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान दत्तात्रेय ने अपने कुछ दिन कृष्णा नदी के किनारे स्थित ऑडूम्बर में बिताए थे।

आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में स्थित संगमेश्वरम् हिंदुओं के लिए एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जहाँ तुंगभद्रा और भवनासी नदियाँ कृष्णा नदी में मिलती हैं। संगमेश्वरम मंदिर अब श्रीशैलम जलाशय में डूब गया है, इसलिये भक्तों के लिए केवल तभी दिखाई देता है जब जलाशय का जल स्तर नीचे आता है।

कृष्णा बेसिन लगभग 258,948 वर्ग किमी (99,980 वर्ग मील) क्षेत्र में फैला हुआ है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 8% है। यह बड़ा बेसिन कर्नाटक (113,271 वर्गकिमी), तेलंगाना एवंआंध्रप्रदेश (76,252 वर्गकिमी) एवंमहाराष्ट्र (69,425 वर्गकिमी) में फैला हुआ है।

इस बेसिन में पश्चिमी सीमा को छोड़कर, ज्यादातर इलाके ऊबड़खाबड़ और तेज ढलान वाले पहाड़ी क्षेत्र हैं जो पश्चिमी घाटों की एक अटूट पर्वत श्रृंखला द्वारा निर्मित है। बेसिन में मुख्यत: काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट और लेटेरिटिक मिट्टी, जलोढ़, मिश्रित मिट्टी, लाल और काली मिट्टी और क्षारीय मिट्टी पाई जाती हैं।

इस बेसिन में कुल 78.1 घनकिमी औसत वार्षिक सतह जल क्षमता का आकलन किया गया है जिसमें से 58.0 घनकिमी पानी ही उपयोग करने लायक है।। बेसिन का खेती योग्य क्षेत्र लगभग 203,000 वर्ग किमी (78,000 वर्ग मील) है, जो देश के कुल खेती योग्य क्षेत्रफल का 10.4% है।

चूंकि कृष्णा नदी में अब पानी की उपलब्धता मांग को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हो गई है, इसलिये वर्ष 2015 में पट्टिसीमा लिफ्ट योजना की मदद से पोलावरम राइट बैंक नहर को चालू करके गोदावरी नदी को कृष्णा नदी से जोड़ा गया है ताकि प्रकाशम बैराज, आंध्र प्रदेश में पानी की उपलब्धता को बढ़ाया जा सके। प्रकाशम बैराज की सिंचाई नहरें राष्ट्रीय जलमार्ग 4 का हिस्सा हैं।

अगुम्बे, जो भारत में दूसरा सबसे अधिक वर्षा (7,620 मिमी वार्षिकऔसत) होने वाला स्थान है, कृष्णा नदी बेसिन में ही स्थित है। कर्नाटक में मुल्यायनगिरि पर्वत शिखर, औसत समुद्र तलसे 1,930 मीटर (6,330 फीट) की ऊँचाई पर, कृष्णा बेसिन का उच्चतम पर्वत शिखर है।

कृष्णा नदी जल निकासी बेसिन(drainage basin)*(स्त्रोत: वीकिपीडिया)*

कृष्णा नदी जलग्रहण क्षेत्र एवं लंबाई का राज्यवार वितरण तालिका 2.1 में दिया गया है।

तालिका– 2.1

राज्य स्थित बेसिन	लंबाई कि.मी में	जलग्रहण क्षेत्रवर्ग कि.मी.	प्रतिशत
महाराष्ट्र	306	69425	26.8
कर्नाटक	483	113271	43.7
तेलंगाना		50155	19.4
आध्र प्रदेश	612	26097	10.1
कुल	**1401**	**258948**	**100**

कृष्णा नदी बेसिन को 3 खंडों में विभाजित किया गया है, जिसमें 1.ऊपरी कृष्णा, 2.मध्य कृष्णा तथा 3. नीचली कृष्णा शामिल है।

2.2 प्रमुख सहायक नदियाँ

कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ तालिका -2.2. में दर्शायी गयी है।

तालिका –2.2

क्र.सं.	सहायक नदी	लंबाई किमी में(औसतन)
1	कोयना(आर)	151
2	घाटप्रभा(आर)	299
3	मालप्रभा (आर)	326
4	तुंगभद्रा (आर)*	552
5	भीमा(एल)*	861
6	मूसी (एल)	352
7	पालेरू (एल)	153
8	मून्नेरू (एल)	218

* कृष्णा नदी कीदो प्रमुख नदियाँ तुंगभद्रा व भीमा स्वयं प्रमुख अंतरराज्यीय नदियाँ हैं।

2.3 उप - बेसिन

कृष्णा बेसिन स्थित जल संसाधन के समग्र नियोजन एवं विकास हेतु इसे 12 उप-बेसिनोंमें विभाजित किया गया है, जिसे तालिका- 2.3. में दर्शाया गया है।

तालिका –2.3

क्र.सं.	उप-बेसिन	संख्या	क्षेत्र वर्ग कि.मी में
1	ऊपरी कृष्णा	के1	17972
2	मध्य कृष्णा	के2	17558
3	घाटप्रभा	के3	8829
4	मालप्रभा	के4	11549
5	ऊपरी भीमा	के5	46066
6	निचली भीमा	के6	24548
7	निचली कृष्णा	के7	36125

8	तुंगभद्रा	के8	47827
9	वेदावती	के9	23590
10	मूसी	के10	11212
11	पालेरू	के11	3263
12	मून्नेरू	के12	10409
कुल			**258948**

निम्नवत मानचित्र कृष्णा नदी के प्रमुख उप – बेसिनों को दर्शाता हैं।

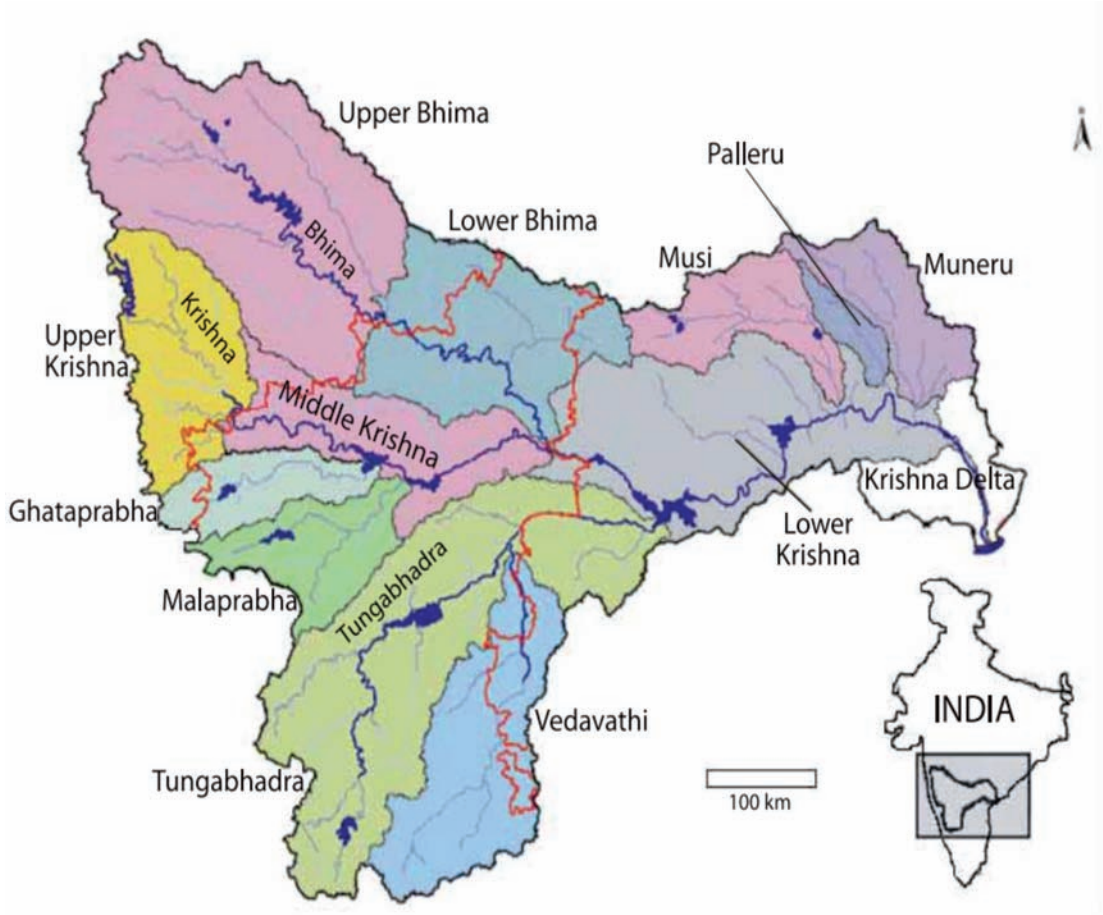

2.4 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कृष्णा नदी

कृष्णा नदी कीकुल लंबाई 1401 किमी में से,लगभग 612 किलोमीटर की लंबाई में यह नदी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहती है। प्रियदर्शनी जुरला बांध पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश राज्य में कृष्णा नदी पर बनी सबसे ऊपरी परियोजना है, जो राज्य पुनर्गठन के बाद वर्तमान तेलंगाना राज्य में स्थित है। यह परियोजना निचली कृष्णा उप-बेसिन के अंतर्गत आती है। तुंगाभद्रा, वेदवती, मूसी पालेरू एवं मुन्नेरू उप-बेसिन आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के अंतर्गत आने वाले कृष्णा नदी के दूसरे उप-बेसिन हैं। तुंगभद्रा, मूसी पालेरू एवं मुन्नेरू स्वयं में अंतर राज्य नदियाँ हैं जो आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्यों में बहती हैं।

नीलम संजीव रेड्डी सागर (श्रीशैलम)जलाशय, नागार्जुन सागर, डॉ के.एल. राव पुलिचिंतला परियोजना और प्रकाशम बैराज तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी परबनी प्रमुख मौजूदा परियोजनाएं हैं। इनमें से दो प्रमुख परियोजनाओं,1- श्रीशैलम और 2- नागार्जुनसागर से दोनों राज्यों को पानी मिलता है।

प्रियदर्शनी जुरला और नीलम संजीव रेड्डी सागर जलाशय (श्रीशैलम) के संक्षिप्त विवरण **अनुलग्नक ए और बी** में दर्शाये गए हैं तथा नागार्जुन सागर और प्रकाशम बैराज के संक्षिप्त विवरण **अनुलग्नक सी एवं डी** में दर्शाये गए हैं।

कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा पर तुंगभद्रा बांध, राजोलीबांडा डायवर्सन स्कीम (आरडीएस) और सनकेसुला बैराज तीन बड़े प्रोजेक्ट बने हुए हैं। तुंगभद्रा नदी पर बना तुंगभद्रा बांध कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तीनों राज्यों को पानी उपलब्ध कराता है।

अध्याय -3
कृष्णा नदी न्यायाधीकरण

3.1 न्यायाधीश आर एस बचावत न्यायाधीकरण

महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश (संयुक्त ए.पी.) राज्यों के बीच जल विवादों को देखते हुए कृष्ण जल विवाद न्यायाधिकरण (कृ ज वि न्या), जिसे आमतौर पर बाछावत न्यायाधिकरण के रूप में जाना जाता है, का गठन अप्रैल 1969 में तीनों राज्यों के बीच जल विवाद के मुद्दों को हल करने के लिए किया गया था। बचावत न्यायाधिकरण के गठन से पहले, कृष्णा जल का संरक्षित प्रतिबद्ध उपयोग तीनों राज्यों, अर्थात् महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश (संयुक्त एपी) के लिए क्रमशः 439.65 टीएमसी, 504.55 टीएमसी और 749.16 टीएमसी किया गया था, जो कुल मिलाकर 1693.36 टीएमसी था।

जब अप्रैल 1969 में बचावत न्यायाधिकरण का गठन हो गया तो सभी पार्टी राज्यों से विस्तृत सुनवाई और जांच के बाद,बचावत ट्रिब्यूनल ने विजयवाड़ा तक 2060 टीएमसी के रूप में कृष्णा नदी के 75% (डिपंडेबल) भरोसेमंद प्रवाह पर विचार किया और दिसंबर 1973 में इन तीनोंराज्यों को पुन: आवंटन प्रदान किया।
ट्रिब्यूनल द्वारा किए गए अंतिम राज्यवार आवंटन तालिका में नीचे दिए गए हैं।

*संदर्भनंबर 18 (5) / 73- केडब्ल्यूडीटी, दिनांक 24-12-1973

3.2 बाचावत न्यायाधीकरण द्वारा किया गया अंतिम आवंटन

तालिका – 3.1

(यूनिट टीएमसी में)

क्रम	राज्य	75% निर्भरता के आधार पर आबंटन	वापसी बहाव टीएम सी में	कुल
1	महाराष्ट्र	560	25	585
2	कर्नाटक	700	34	734
3	आंध्र प्रदेश	800	11	811
	कुल	**2060**	**70**	**2130**

केडब्ल्यूडीटी ने माना कि पार्टी राज्यों को आवंटन पूर्ण–रूपेण (एंब्लॉक) हैं। हालाँकि, बाछावत रिपोर्ट रिअलोकेशन में पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश राज्य के लिए परियोजनावार आवंटन का उल्लेख भी किया गया है,जैसा कि नीचे तालिका - 3.2 में दर्शाया गया हैं।

तालिका - 3.2

पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश में केडब्ल्यूडीटी द्वारा किए गए परियोजना वारआबंटनका विवरण।

क्रम सं.	परियोजना का नाम	केडब्ल्यूडीटी आबंटन टीएमसी में (पूर्ववर्त आंध्र प्रदेशके लिए)
1	कृष्णा डेल्टा प्रणाली	181.20
2	मुन्नेरू परियोजना	3.30
3	गुंटूर चैनल	4.00
4	वैकुंठपुरम पंपिंग योजना	2.60
5	कर्नूल-कडपा कैनाल	39.90
6	तुंगभद्रा आरबीएलएलसी	29.50
7	तुंगभद्रा आरबीएचएलसी	32.50
8	भैरवनीटप्पा	4.90
9	गाजुलाधीन्ना	2.00
10	नागार्जुन सागर	264.00
11	कोइल सागर	3.90
12	कोटीपल्लीवागू	2.00
13	ओकचिट्टीवागू	1.90
14	राजोली बंडा व्यपवर्तनयोजना	15.90
15	दींडी	3.70
16	मूसी	9.40
17	पाकाला तालाब	2.60
18	वैयरा	3.70
19	पालेरू	4.00
20	लंकासागर	1.00
21	नगरद्वय को पेयजलापूर्ति	3.90

22	जूराला	17.84
23	लघु सिंचाई	116.26
24	वापसी बहाव(Return flow)	11.00
		पेयजल एवं सींचाई हेतु कुल761.00
25	श्रीशैलम वाष्पीकरण	33.00
26	नागार्जुन सागरवाष्पीकरण	17.00
		कुल811.00

3.3 आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के बीच जल बंटवारा

केडब्ल्यूडीटी के तहत बचावत न्यायधीकरण की रिपोर्ट के अनुसार पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश को **75%** निर्भरता पर कुल **811** टीएमसी (**800 + 11** टीएमसी वापसी प्रवाह) जलावंटन किया गयाथा। आवंटन पूर्ण–रूपेण (एंब्लॉक) होने के कारण बाद में संयुक्त आंध्र प्रदेश की नई परियोजनाओं हेतु तत्कालीन आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा फिर से परियोजना-वार आवंटन किया गया था।

आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, **2014** के अनुसार तत्कालीन आंध्र प्रदेश के विभाजन के परिणामस्वरूप **18, 19** जून, **2015** को नई दिल्ली में अतिरिक्त सचिव, जल संसाधन मंत्रालय, आरडी&जीआर की अध्यक्षता में दोनों राज्यों के अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में दोनों राज्यों द्वारा आम सहमति से (811.0 टीएमसी) पानी के वितरण के संबंध में निर्णय लिया। तदनुसार, तेलंगाना 298.96 टीएमसी और आंध्र प्रदेश 512.04 टीएमसी का उपयोग कर सकता है। पानी की कमी या अधिकता को उसी अनुपात में साझा किया जाना भी तय हुआ। (मीटिंग के मिनट की प्रतिलिपि अनुबंध-3.1 में है)

इस प्रकार, उपरोक्त निर्णय के अनुसार आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच जल बंटवारे का अनुपात क्रमशः 63.13:36.87 है।

बैठक में इस बात पर भी सहमति हुई कि दिनांक18-10-2013 की परियोजनाओं की सूची में उल्लिखित दोनों राज्यों की पानी की हिस्सेदारी के आंकड़ों (**अनुलग्नक 3.1 के परिशिष्ट**) का अनुसरण केवल वर्ष 2015-16 की कार्य व्यवस्था के लिए किया जाएगा। दिनांक 21-09-2016

को आयोजित एपेक्स काउंसिल (शीर्ष परिषद) की पहली बैठक के दौरान, दोनों राज्यों द्वारा वर्ष 2015-16 की जल बंटवारे की कार्य व्यवस्था को वर्ष 2016-17 के लिए भी जारी रखने के लिए सहमति व्यक्त की गई।

दिनांक 04-11-2017 को आयोजित बोर्ड की 7 वीं बैठक में विस्तृत विचार-विमर्श और दोनों राज्यों के सदस्यों की सर्वसम्मति से, बोर्ड ने कृष्णा जल को(गोदावरी मोड़ और लघु सिंचाई को छोड़कर) आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच क्रमशः 66:34 के अनुपात में केवल जल वर्ष 2017-18 के दौरान साझा करने का निर्णय लिया।अन्य शर्ते जल संसाधन मंत्रालय द्वारा 18-19 जून 2015 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार यथावत रहेंगी।

3.4 कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण-II की स्थिति (न्यायमूर्ति बृजेश कुमार ट्रिब्यूनल)

कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण (बचवात) निर्णय के खंड XIV के अनुसार, दिनांक 31-05-2000 के बाद किसी भी समय, इस आदेश की समीक्षा या संशोधन एक "सक्षम प्राधिकारी या न्यायाधिकरण द्वारा किया सकता है, लेकिन इस तरह की समीक्षा या संशोधन, जहां तक संभव हो, किसी भी राज्य द्वारा पूर्ववर्ती खंड के तहत किए गए आवंटन की सीमा के भीतर किए गए उपयोग में बाधा न डालें।

तदनुसार, अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद (ISRWD) अधिनियम, 1956 की धारा 4 के तहत महाराष्ट्र, कर्नाटक और तत्कालीन आंध्र प्रदेश के बीच जल विवाद के निपटारे के लिए केंद्र सरकार की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 451 (ई) दिनांक 02-04-2004 द्वारा कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण (केडब्ल्यीडीटी) का गठन जस्टिस बृजेश कुमार की अध्यक्षता में किया गया, जिसे आगे से जस्टिस बृजेश कुमार के अधीन **केडब्ल्यूडीटी-II** के रूप में उल्लिखित किया गया है। अधिनियम की धारा 5 (2) के तहत न्यायाधिकरण ने 30-12-2010 को अपना प्रतिवेदन एवं निर्णय प्रस्तुत कर दिया है।

इस संदर्भ में सदस्य राज्यों और केंद्र सरकार ने अधिनियम की धारा 5 (3) के तहत अधिकरण से आगे और स्पष्टीकरण मांगा। लेकिन आंध्र प्रदेश राज्य ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 139 के तहत मार्च 2011 में KWDT-II के 30-12-2010 के निर्णय को विभिन्न आधारों पर चुनौती देते हुए कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों के खिलाफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक विशेष अवकाश याचिका (एसएलपी (सिविल) नंबर 10498/2011)

दायर करदी। बाद में आंध्रप्रदेश राज्य ने भी जुलाई 2011 में इस SLP के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष IA NO-3 भी दायर कर दी।इसी बीच न्यायाधीकरण ने दिनांक 29 नवंबर 2013 को आईएसआरडब्ल्यूडी अधिनियम 1956 की धारा 5(3) के तहत कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश राज्यों के बीच कृष्णा नदी के जलावंटन से संबंधित अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी।

अतः सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दि.16-09-2011 के स्थगन आदेश के चलते आईएसआरडब्ल्यूडी अधिनियम 1956 की धारा 6(1) के क्रम में अभी तक इस आदेश को भारत के राजपत्र में प्रकाशित नहीं किया जा सका है।

आईएसआरडब्ल्यूडी अधिनियम 1956 की धारा-5 की उप-धारा 3 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मंत्रालय ने दि.15-05-2014 को जारी अधिसूचना द्वारा न्यायाधीकरण का कार्यकाल 02 वर्ष अथवा अगले आदेश तक बढ़ाया गया ताकि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 (2014 का 6) के भाग 89 के खंड (ए) एवं (बी) में निर्देशित संदर्भ शर्त (टीओआर) प्रावधानों को सुनिश्चित किया जा सके।

तदानुसार अधिकरण का कार्यकाल 31-07-2019 तक बढ़ाया गया जो 01-08-2017 से प्रभावी हुआ वर्तमान में न्यायाधीकरण तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश राज्यों से संबंधित संवेदनशील मामलों/विवादों की सुनवाई कर रहा है।

(स्त्रोत: http://mowr.gov.in)

अध्याय -4
कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड के कार्य

4.1 केआरएमबी के कार्य

आंध्रप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, **2014** के खंड 85(8) में प्रस्तावित बोर्ड के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं :-

(अ) निम्लिखित संदर्भों को ध्यान में रखते हुए उत्तरावर्ती राज्यों को परियोजनाओं से जलापूर्ति का विनियमन करना -

(i) अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के अधीन गठित न्यायाधीकरण द्वारा जारी किए गएजल आबंटन निर्देश।

(ii) वर्तमान आंध्रप्रदेश सरकार या अन्य राज्य अथवा अन्य संघ शासित क्षेत्र केसाथ किया गया करार अथवा की गई व्यवस्था।

(आ) वर्तमान आंध्र प्रदेश राज्य सरकारया अन्य राज्य अथवा अन्य संघ शासित क्षेत्र से किया गया कोई करारया व्यवस्था के अनुरूप उत्पन्न विद्युत की आपूर्ति का विनियमन करना।

(इ) केंद्र सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में विनिर्देशित जल संसाधन परियोजनाओं के विकास से संबंधित निर्माणाधीन कार्य या नए कार्यों को राज्य सरकारों द्वारा पूरा कराना।

(ई) कृष्णा नदी पर बनने वाली नई परियोजनाओं के प्रस्तावों का मूल्यांकन करना और तकनीकी मंजूरी यह संतुष्ट होने के बाद देना कि ऐसी परियोजनाएं नियत दिन से पहले पूरी हो चुकी या नियत दिन से पहले शुरु की गई अन्य परियोजनाओं के लिए अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के तहत गठित न्यायाधिकरणोंद्वारा दिए गए आवंटन के अनुसार, पानी की उपलब्धता को नकारात्मक रूप से प्रभावित तो नहीं करती हैं।

(इ) 11वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट सिद्धांतों के आधार पर केंद्रीय सरकार द्वारा सौंपे गए अन्य कोई कार्य।

4.1.1 ग्यारवीं अनुसूची

एपीआर अधिनियम, 2014 की ग्यारहवीं अनुसूची, में नदी प्रबंधन बोर्ड के कामकाज को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों को शामिल किया गया है। और इसे अनुलग्नक - 4.1.1 के रूप में दर्शाया गया है।

4.1.2 बारहवीं अनुसूची

एपीआर अधिनियम 2014 के भाग X की धारा 92 में नव निर्मित राज्यों द्वारा लागू किए जाने वाले "बुनियादी ढाँचे और विशेष आर्थिक उपायों" को शामिल किया गया है, जिसके तहत बिजली उत्पादन, विद्युत पारेषण और वितरण को बारहवीं अनुसूची में शामिल किया गया है। बारहवीं अनुसूची को **अनुबंध- 4.1.2** में दर्शाया गया है।

4.2 क्षेत्राधिकार

एपीआर अधिनियम, 2014 की धारा 87 (1) के अनुसार, बोर्ड का अधिकार क्षेत्र तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर बनी उन परियोजना के हेडवर्क (बैराज, बांध, जलाशय, वितरण संरचना), तथा संबंधित राज्यों को जल या बिजली पहुंचाने के लिए आवश्यक नहर नेटवर्क और ट्रांसमिशन लाइनों पर होगा जिनहे अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के तहत गठित न्यायाधिकरणों द्वारा दिए गए आवंटन को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया किया गया हो।
यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या बोर्ड को वहाँ संदर्भित किसी भी परियोजना पर उप-धारा (1) के तहत अधिकार क्षेत्र है, तो वहाँ पर मामला निर्णय के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।

जल संसाधन मंत्रालय केंद्र सरकार के सचिव की अध्यक्षता में नई दिल्ली में दिनांक 15-02-2018कोअंतरराज्यीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उन्होंने कहा कि केआरएमबी और जीआरएमबी के अधिकार क्षेत्र की अधिसूचना के अभाव में, प्रभावी ढंग से उनकी

शक्तियों का उपयोग नहीं किया जा सकता। इसलिए, केडब्ल्यूडीटी-II पुरस्कार के बाद आवश्यक हो तो लंबित परियोजनाओं का आवंटन, क्षेत्राधिकार अधिसूचित किया जा सकता है अथवा संशोधन भी किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि केआरएमबी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कृष्णा नदी बेसिन में आने वाली परियोजनाओं को विनियमित करेगा। इसी तरह, जीआरएमबी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गोदावरी नदी के बेसिन में आने वाली परियोजनाओं को विनियमित करेगा। इस संबंध में अंतिम निर्णय सर्वोच्च परिषद की बैठक में लिया जाएगा।

केआरएमबी के क्षेत्राधिकार का मसौदा केआरएमबी के पत्र दिनांक 04-05-2018 द्वारा आगे की आवश्यक कार्रवाई हेतु मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया है।

अध्याय -5
बोर्ड का कार्यालय

5.1 कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड

बोर्ड कार्यालय में, निम्नलिखित पूर्णकालिक अधिकारियों को केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया गयाहै:

(i) अध्यक्ष: बोर्ड प्रमुख के रूप में

(ii) सदस्य सचिव

(iii) सदस्य (विद्युत)

(iii) सदस्य

5.2 कार्य एवं अधिकार

अध्यक्ष, सदस्य सचिव और सदस्यों के कार्य और शक्तियां निम्नानुसार हैं।

5.2.1 अध्यक्ष

अध्यक्ष, निम्नलिखित जिम्मेदारियों को निभाते हुए संगठन प्रमुख के रूप में कार्य करेंगे।

(i) वह राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

(ii) वह बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे और संगठन को नीति निर्देश जारी करेंगे तथा संगठनात्मक लक्ष्य निर्धारित करेंगे।

(iv) वह बोर्ड कार्यालय की विभिन्न इकाइयों/प्रभागों की कार्यशैली/ कार्यनिष्पादन की समीक्षा करेंगे।

(v) उपलब्ध बजट प्रावधानों के अन्तर्गत उनके पास बोर्ड के प्रशासनिक और तकनीकी आकलनों को अनुमोदित करने के पूर्ण अधिकार होंगे।

(vi) कार्यालय के नियमित रखरखाव के लिए अध्यक्ष को वित्तीय शक्तियों को कार्यकारी अभियंता तक के अधीनस्थ-अधिकारियोंको सौंपने का अधिकार है।

(vii) आवश्यकतानुसार अध्यक्ष को बजट में एक मद में आवंटित राशि को दूसरे मद में पुनरावंटित करने की पूरी शक्तियाँ प्राप्त है।

(viii) अध्यक्ष बोर्ड की वार्षिक कार्य-योजना एवं वार्षिक प्रतिवेदन को अनुमोदित करेंगे।

5.2.2 सदस्य सचिव के कार्य

सदस्य सचिव बोर्ड के कार्यों को सुचारू रूप से संपादित करने में निम्नानुसार अध्यक्ष का सहयोग करेंगे।

(i) समय-समय पर कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड की बैठकों का आयोजन करना तथा इस बोर्ड के समन्वयक के रूप में कार्य करना।

(ii) वह बोर्ड के कामकाज में अध्यक्ष की सहायता करेगें। सदस्य सचिव बोर्ड की ओर से अपने हस्ताक्षर द्वारा सभी आदेशों, स्वीकृतियों तथा निर्णयों को प्रमाणित तथा सूचित करेंगे।

वह तीन सदस्य समिति का सदस्य है, जिसमें दोनों राज्यों के इंजीनियर-इन-चीफ(।) शामिल हैं।

(iii) न्यायाधिकरण द्वारा प्रदात्त जल-आवंटन तथा आंध्र प्रदेश व तेलंगाना राज्यों के बीच हुए किसी भी समझौते के अनुसार निर्धारित बिंदुओं पर जल आवंटन के कार्य हेतु एक तीन सदस्यों की समिति गठित की गई है। इस समति में दोनों राज्यों के इंजीनियर-इन-चीफ(।) और सदस्य सचिव (KRMB) सदस्य होंगे।

(iv) सदस्य सचिव बोर्ड से संबंधित मानव संसाधन प्रबंधन मामलें भी देखेंगे। सदस्य सचिव अध्यक्ष द्वारा सौंपे गए अन्य कार्यों सहित विधि संबंधी मामलों का निपटान भी करेंगे।

5.2.3 सदस्य (विद्युत) के कार्य

वह केंद्रीय विद्युत अभियांत्रीकी सेवा (ग्रूप ए) से बोर्ड मेंसदस्य (विद्युत) होंगे।

(i) सदस्य,विद्युत से संबंधित सभी आंकड़ों को एकत्रित करेंगे।

(ii) एपीआर अधिनियम 2014 के प्रावधानों के अनुसार वह विद्युत आपूर्ति विनिमयन के उत्तरदायी होंगे।

(iii) वह विद्युत संबंधी मामलों में बोर्ड को परामर्श देंगे।

(iv) वह विद्युत उपयोग संबंधी लेखा तैयार करेंगे।

(v) वह विद्युत पर नीति दस्तावेज़ तैयार करेंगे।

(vi) वह विद्युत उत्पादन एवं वितरण का पर्यवेक्षण करेंगे।

5.2.4 सदस्य, केआरएमबी

(i) सदस्य केआरएमबी, बोर्ड की परियोजना/अभिकल्प/ निगरानी इकाई के प्रभारी होंगे।

(ii) वह आंध्रप्रदेश एवं तेलंगाना में कृष्णा बेसिन में स्थित सिंचाई एवं जल संसाधन परियोजना अधिकारियों से तकनीकी एवं परिचालन संबंधी मामलों में बातचीत करेंगे।

(iii) वह बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में आने वाले कृष्णा बेसिन स्थित परियोजनाओं संबंधी निर्माण/आधुनीकीकरण/मरम्मत कार्यों का स्वतंत्र रूप से पर्यवेक्षण करेंगे।

(iv) कृष्णा अथवा उसकी सहायक नदियों पर प्रस्तावित नई परियोजनाओं के प्रस्तावों को शीर्ष परिषद के अनुमोदन के लिए बोर्ड द्वारा अनुशंसा करने से पहले मूल्यांकन करने के लिए वह उत्तरदायी होंगे।

(v) केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित परियोजनाओं के रखरखाव, बांध सुरक्षा, जल उपयोग दक्षता के लिए सदस्य उत्तरदायी होंगे।

(vi) बोर्ड के टेलीमेट्री प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए सदस्य जिम्मेदार होंगे।

(vii) सदस्य बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट का मसौदा तैयार करेंगे, जिसमें वित्तीय वर्ष का लेखा-जोखा शामिल होगा। वार्षिक रिपोर्ट में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के संबंध में पिछले जल वर्ष का जल खाता भी शामिल होगा।

5.3 पदग्राही (incumbents)

जलवर्ष 2017-18 के दौरान केआरएमबी के अध्यक्ष, सदस्य सचिव एवं सदस्य(विद्युत) की पदधरिता को तालिका 5.3 में दर्शाया गया है।

तालिका – 5.3

क्रम	पदनाम	नाम	कलावधि
1	अध्यक्ष	श्रीएस.के.हलदार (व/अ)	03-01-2017 to 02-04-2017
		श्रीएस. के. श्रीवस्तव	12-05-2017 to 31-01-2018
		श्रीवाई. के. शर्मा	26-02-2018 to 04-05-2018
2	सदस्य सचिव	डॉ समीर चटर्जी(व/अ)	11-07-2016 to16-10-2017
		श्रीए परमेशम	17-10-2017 to till date
3	सदस्य (विद्युत)	श्री ए बालन	01-06-2016 to31-05-2017
		श्री सी वेंकटा सुब्बय्या	19-09-2017 to 06-11-2017
		श्री टी वेंकटेश्वर्लू	06-11-2017 to 10-12-2018

5.4 राज्य सरकारों द्वारा नामित बोर्ड के सदस्य

राज्य सरकारों द्वारा नामित बोर्ड सदस्यों का विवरण निम्नवत तालिका में दर्शाया गया है।

आंध्रप्रदेश सरकार		
1	सदस्य (प्रशासन)	श्री शशि भूषण कुमार,भा.प्र.से सचिव आंध्र प्रदेश सरकार,डब्ल्यूआरडी
2	सदस्य (तकनीकी)	श्री एम वेंकटेश्वर राव मुख्य अभियंता (आई) डब्ल्यूआरडी
तेलंगाना सरकार		
1	सदस्य (प्रशासन)	डॉ एस के जोशी, भा.प्र.से तेलंगाना सरकार के मुख्य सचिव, आई&सीएडी
2 2	सदस्य (तकनीकी)	श्री सी मुरलीधर मुख्य अभियंता (आई) आई&सीएडी

5.5 अन्य अधिकारी / बोर्डपरिषद के कर्मचारी

बोर्ड कार्यालय में एक सदस्य हैं। (जो वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड / भारत सरकार के संयुक्त सचिव स्तर का एक अधिकारी होता है जो सीडब्ल्यूईएस का मुख्य अभियंता के पद का अधिकारी होता है) तथा अन्य इंजीनियरिंग अधिकारियों जैसे अधीक्षण अभियंता,कार्यकारी अभियंता, सहायक कार्यकारी अभियंताओं और निदेशक (वित्त), प्रशासनिक / वित्तीय / मंत्रालयिक अधिकारियों सहायकों इत्यादि को सीडब्ल्यूसी/आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सरकारों से प्रतिनियुक्ति / मोड़ / ऋण के आधार पर और तैनात किया जाता है।

जलवर्ष 2017-18 के दौरान केआरएमबी के सदस्य की पदधरिता को तालिका 5.3 में दर्शाया गया है।

क्रम	पदनाम	नाम	कलावधि
1	सदस्य, केआरएमबी	श्री शिव नंदन कुमार(व/अ)	20-07-2017 to 17-12-2017
		श्री हरिकेश मीना	18-12-2017 to till date

दिनांक 31.03.2018 को केआरएमबी कार्यालय में 24 अधिकारी कार्यरत है जिनका विवरण निम्नानुसार है।

भारत सरकार / एमओडब्ल्यूआर / सीडब्ल्यूसी-- 5

आंध्रप्रदेश सरकार-- 11

तेलंगाना सरकार -- 8

बोर्ड कार्यालय संबंधी संगठन मानचित्र अनुलग्नक- 5.1. में दर्शाया गया है।

अध्याय - 6
बैठक एवं अनुवर्ती-कार्रवाही

6.1बोर्ड की बैठकें

जल वर्ष 2017-18 के दौरान कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष की अध्यक्षता में दो बोर्ड बैठकों का आयोजन किया गया। विवरण निम्नानुसार है।

क्रम	बैठक	दिनांक	अध्यक्षता
1	6वीं बोर्ड बैठक विजयवाडा	22-08-2017	डॉ एस के श्रीवत्सव अध्यक्ष, केआरएमबी
2	7वीं बोर्ड बैठक हैदराबाद	04-11-2017	डॉ एस के श्रीवत्सव अध्यक्ष, केआरएमबी

6.1.16 वीं बोर्ड बैठक

6वीं बोर्ड बैठक

बोर्ड की 6वीं बैठक विजयवाडा में दिनांक22-08-2017को संपन्न हुई।बैठक में निम्न निर्णय लिए गए।

- बोर्ड द्वारा वित्तवर्ष 2016-17 से संबंधित व्यय की समीक्षा की गई।

- बोर्ड के सदस्यों ने आपातकाल के दौरान घरेलू हवाई यात्रा के संबंध में वर्तमान नियमों में छूट देते हुए अध्यक्ष को निर्णय लेने के विचार पर सहमति दी गयी ताकि यात्रा समय को न्यूनतम किया जा सके।
- बोर्ड ने बजट की पुनर्व्याख्या हेतु अध्यक्ष को शक्तियाँ प्रदान की।
- अधिकतम एक करोड़ रूपए प्रति वर्ष की बचत करते हुए बोर्ड द्वारा धीरे-धीरे आरक्षित निधि को गठित करने का निर्णय लिया गया।
- बोर्ड द्वारा संगठनात्मक चार्ट / संरचना में संशोधनों के लिए सहमती एवं स्वीकृति दी गयी।
- बोर्ड द्वारा आवश्यक संशोधन सहित केआरएमबी के लोगो (प्रतीकचिन्ह) का अनुमोदन किया गया।
- बोर्ड ने लघु सिंचाई योजनाओं के तहत पानी के उपयोग के आकलन के लिए एनआरएससी (नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर) की सेवाएं लेने का निर्णय लिया।

6.1.2 7 वीं बोर्ड बैठक

7वीं बोर्ड बैठक

बोर्ड की 7वीं बैठक हैदराबाद में दिनांक04-11-2017 को संपन्न हुई।बैठक में निम्न निर्णय लिए गए।

- बोर्ड द्वारा निम्नलिखित मुद्दों की जांच करने और इसकी अगली बैठक में निर्णय लेने के लिए प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु दोनों राज्यों एवं केआरएमबी के प्रतिनिधियों के साथ समितियों का गठन करने का निर्णय लिया गया

(i) केडब्ल्यूडीटी-1 के अंतिम आदेश की धारा VII के तहत आवंटित जल में घरेलू एवं नगर पालिकओं को कुल जलापूर्ति के मात्र 20% जल को ही उपयोग करना माना गया।

(ii) वर्ष 2017-18 के दौरान श्रीशैलम से छोड़ा गया पानी और नागार्जुन सागर परियोजना (एनएसपी) में प्राप्ति के बीच के अंतर का अध्ययन करना।

(iii)नागार्जुन सागर की बायी नहर जो दोनों राज्यों के लिए सांझी है, इसमें पानी के होने वाले नुकसान को गणना में लेना।

(iv) चरण- I के टेलीमेट्री स्टेशनों का मापांकन कर चरण- II में टेलीमेट्री स्थानो के लिए संस्तुति देना।

- बोर्ड सदस्यों ने लघु सिंचाई में पानी के उपयोग के उचित लेखांकन के तरीकों का पता लगाने हेतु दोनों राज्यों द्वारा उचित व्यवस्था अपनाने की बात दोहरायी ।
- बोर्ड एवं दोनों राज्यों के सदस्यों द्वारा आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्यों के बीच जलवर्ष 2017-18 के दौरान (सामान्य सिंचाई और गोदावरी जल छोड़कर) क्रमशः66:34 केअनुपात में कृष्णा नदी जल बंटवारे पर सर्वसम्मती से निर्णय लिया गया।
- वित्त वर्ष 2018-19 के लिए बोर्ड ने 9.00 करोड़ रुपये के बजट अनुमान के लिए सहमति व्यक्त की।

6.2 तीन सदस्यीय समिति की बैठक एवं निर्णय

जल वर्ष 2017-18 के दौरान तीन- सदस्यीय समिति जिसमें दोनों राज्यों के मुख्य अभियंता एवं केआरएमबी के सदस्य सचिव शामिल हैं, की चार (4) बैठकें आयोजित की गईं। मुख्य रूप से निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखते हुए पानी जारी करने के आदेश जारी किए गए थे।

i) पेयजल एवं सींचाई आवश्यकता

ii) जलाशयों में भंडारण की स्थिति।

iii) आकस्मिक लाभ के रूप में बिजली का उत्पादन।

दोनों राज्यों के बीच पानी के बंटवारे पर समग्र अनुपात का पालन किया गया।

जल वर्ष 2017-18 के दौरान तीन सदस्यीय समिति द्वारा लिए गए निर्णयों के अनुसार, केआरएमबी द्वारा विभिन्न आउटलेटों से सिंचाई की जरूरतों के लिए श्रीसैलम और नागार्जुन सागर परियोजनाओं से दस (10) पानी छोड़ने के आदेश जारी किए गए साथ ही हैदराबाद और चेन्नई को पेयजल आपूर्ति के लिए भी जल जारी किया गया।

6.3 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के विभिन्न लंबित मुद्दों पर सचिव डब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर की अध्यक्षता में दिनांक 15-02-2018 को नई दिल्ली में बैठक आयोजित की गई।

बैठक के दौरान विभिन्न मुद्दों पर लिए गए निर्णय निम्नानुसार हैं:

- **केआरएमबी काअधिकार - क्षेत्र**
- क्षेत्राधिकार-क्षेत्र की अधिसूचना पर अंतिम निर्णय सर्वोच्च परिषद की बैठक में लिया जाएगा।
- **कृष्णा बेसिन में तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश की सरकारों द्वारा लंबित परियोजनाओं संबंधी डीपीआर प्रस्तुत करना।**

  सचिव (डब्ल्यूआर, आरडी एवं जीआर) ने दोनों राज्यों से आंध्रप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के अंतर्गत कृष्णा बेसिन में सभी नई परियोजनाओं से संबंधित डीपीआर केआरएमबी को प्रस्तुत करने की सलाह दी ताकि शीर्ष परिषद से मूल्यांकन एवं अनुमति ली जा सके।

- **लघु सिंचाई के तहत पानी के समग्र उपयोग का लेखा-जोखा**

  यह निर्णय लिया गया कि दोनों राज्य लघु सिंचाई से सम्बंधित सभी आवश्यक विवरण केआरएमबी को प्रस्तुत करेंगे ताकि समस्या निपटान के लिए उपलब्ध नई तकनीकों का पता लगाया जा सके।
- **श्रीशैलम एवं नागार्जुन सागर परियोजनाओं में जल प्रबंधन**

  यह निर्णय लिया गया कि सीडब्ल्यूसी एवं राज्यों की सहायता से केआरएमबी ऑपरेशन प्रोटोकॉल बनाएगा।

6.4 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के बीच कृष्णा जल प्रबंधन के मुद्दों के निपटान हेतु विशेषज्ञ समिति (श्री ए के बजाज समिति)

आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के प्रावधानों के अनुसार कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड के प्रभावी कामकाज हेतु केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय, आरडी एवं जीआर, द्वारा दिनांक 07-09-

2016 को एक समिति का गठन किया गया। तत्पश्चात दिनांक 21-09-2016 को संपन्न सर्वोच्च परिषद की बैठक में सीडब्ल्यूसी के पूर्व अध्यक्ष श्री ए के बजाज को समिति का अध्यक्ष बनाते हुए इस समिति का गठन किया गया। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के प्रावधानों के अनुसार समिति का गठन केआरएमबी को और अधिक प्रभावी करने हेतु सुझाव देने के उद्देश्य से किया गया। विशेष रूप से निम्नलिखित मुद्दों पर ध्यान दिया गया।

(i) कृष्णा बेसिन स्थित दोनों राज्यों की सांझा परियोजनाओं संबंधी संचालन नियमों / प्रक्रिया व नियामावली तैयार करना।

(ii) गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण पुरस्कार, 1980 के अनुसार गोदावरी जल कोकृष्णा बेसिन में स्थानांतरित किया जाना।

समिति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए 06 माह का समय दिया गया जो 08-09-2016. से प्रभावी था। समति की कालअवधि में दिनांक 08-04-2017से छः माह का समय और बढ़ा दिया गया था।

जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 15-02-2018 को नई दिल्ली में आयोजित अंतर-राज्य बैठक में उपरोक्त विषय को कार्यसूची में रखा गया था। बैठक में हुई चर्चा एवं लिए गए निर्णय निम्नानुसार है।

तेलंगाना सरकार के मुख्य सचिव ने समिति की स्थिति जानना चाहा, इस पर यह बताया गया कि आंध्रप्रदेश ने समिति को आवश्यक जानकारी उपलब्ध करायी है जबकि तेलंगाना सरकार नेआवश्यक जानकारी उपलब्ध नहीं करायी है अतः समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर सकी। तेलंगाना सरकार के मुख्य सचिव ने बताया की यह टीओआर में परिवर्तन के कारण है। उन्होने बताया कि जीडब्ल्यूडीटी 1980 के तहत गोदावरी पानी का आवंटन कृष्णा बेसिन में स्थानांतरित किया जा रहा है। जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार के सचिवने बताया कि नियमित कालावधि समाप्त होने के कारण समिति निष्क्रिय हो गई है। अंत में यह निर्णय लिया गया कि केंद्रीय मंत्रालय इस पर विचार कर आगे की कार्रवाही करेगा।

6.5 जल संसाधनों पर दक्षिणी राज्यों का प्रथम क्षेत्रीय सम्मेलन दिनांक 20-02-2018 को हैदराबाद में आयोजित किया गया।

जल संसाधनों पर दक्षिणी राज्यों का प्रथम क्षेत्रीय सम्मेलन श्री अर्जुनराम मेघवाल, माननीय केंद्रीय जल संसाधन राज्य मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 20-02-2018 को हैदराबाद में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में विभिन्न मामलों पर निम्नवत निर्णय लिए गए।

आंध्रप्रदेश सरकार से संबंधित मामलें।

- निर्माणाधीन/नई परियोजनाओं तथा केआरएमबी से संबंधित विभिन्न मामलों को भविष्य में होने वाली शीर्ष परिषद की बैठक में निपटाया जाएगा।
- ऊपरी तटवर्तीय राज्यों से पानी छोड़ने के मामलें पर यह निर्णय लिया गया कि इस मामले को निकट भविष्य में प्रस्तावित बेसिन स्तर की बैठकों में निपटाया जाएगा।

तेलंगाना सरकार से संबंधित मामलें।

इस संबंधमें स्थायी न्यायधिकरण की स्थापना के मुद्दे पर केंद्र सरकार सक्रिय है तथा दिनांक 14-03-2017 को एक विधेयक संसद में पेश किया गया है।

अध्याय - 7
तकनीकी गतिविधियाँ

7.1जल प्रबंधन

7.1.1आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के बीच जल बंटवारे की व्यवस्था

अपर सचिव, जल संसाधन मंत्रालय, आरडी एंड जीआर की अध्यक्षता में दिनांक18-19 जून, 2015 को नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के बीच कृष्णा बेसिन जल के अस्थायी वितरण हेतु एक बैठक संपन्न हुई। (बैठक का कार्यवृत्त **अनुबंध 3.1**पर है)। इस बैठक में कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड (केआरएमबी) द्वारा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के बीच जल उपयोग विनियमन से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की गई। इस बैठक में प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, आंध्र प्रदेश एवं प्रधान सचिव आई&सीएडी तेलंगाना सरकार उपस्थित थे।

बैठक में कुल 811 टीएमसी जल (विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेशराज्य में केडब्ल्यूडीटीद्वारा आवंटित) जिसमें तेलंगाना को 298.96 टीएमसीऔर आंध्र प्रदेश को 512.04 टीएमसी जल साझा करने पर सहमति हुई। इस बात पर भी सहमति व्यक्त की गई कि 811 टीएमसी से कम पानी उपलब्ध होने पर दोनों राज्यों द्वारा समान अनुपात में इसे साझा किया जाएगा। आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के बीच जल बंटवारे का अनुपात क्रमशः63.13 : 36.87है।

18 - 19 जून 2015 को संपन्न इस बैठक में दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों मुख्य अभियान्ताओं एवं केआरएमबी के सदस्य सचिव सहित एक तीन सदस्यीय समिति के गठन पर सहमति हुई। यह समिति समय-समय पर पानी की उपलब्धता का आकलन करते हुए राज्यों द्वारा उठाए जाने वाले जल संबंधी मांगों का निपटान करेगी। केआरएमबी द्वारा लिए गए निर्णय संबंधित राज्य परियोजना अधिकारियों द्वारा कार्यान्वित किए जाएंगे।

7.1.2 जलवर्ष 2017-18 के दौरान सांझा की गयी जलहिस्सेदारी

दोनों राज्यों के सदस्यों के साथ हुई विस्तृत चर्चा के बाद दिनांक 04-11-2017 को आयोजित बोर्ड की 7 वीं बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि जल वर्ष 2017-18 के दौरान आंध्रप्रदेश एवं तेलंगाना के बीच जल (गोदावरी जल मोड़ने एवं लघु सिंचाई को छोडकर) का बंटवारा क्रमशः के 66:34 अनुपात में होगा। अन्य शर्तें जल संसाधन मंत्रालय की दिनांक 18-19 जून 2015 को संपन्न बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार रहेंगे। तदनुसार वर्ष 2017-18 में जल बंटवारा केआरएमबी के निदेशानुसार किया गया।

7.2 जलाशयों में पानी के उपयोग संबंधी खाता

जल वर्ष 2017-18 के दौरान, दोनों राज्यों द्वारा नीलम संजीव रेड्डी सागर (श्रीशैलम) और नागार्जुन सागरसे 376.626 टीएमसी पानी लिया गया। इसमें 153.540 टीएमसी श्रीशैलम तथा 223.086 टीएमसी नागार्जुन सागर से लिया गया। दोनों राज्यों द्वारा इन जलाशयों से आहृत जल का विवरण **अनुलग्नक 7-2** में संलग्न है।

7.3 वर्ष 2017-18 के दौरान टेलीमेट्री का कार्यान्वयन

कृष्णा बेसिन में जल सबंधी लेखा-जोखा पारदर्शी तरीके से रखने के लिए जल संसाधन मंत्रालय की दिनांक 21-22 जून 2016 को संपन्न बैठक में दोनों राज्यों द्वारा कृष्णा बेसिन में चरणबद्ध रूप से टेलीमेट्री/आटोमेशन डाटा अधिग्रहण प्रणाली की स्थापना करने का निर्णय लिया गया।

तदनुसार अब तक दोनों राज्यों की आपसी सहमति से जूराला, श्रीशैलम एवं नागार्जुना सागर परियोजनाओं के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर 18 टेलिमेट्री स्टेशनों (**अनुबंध-7.3.1**में संलग्न है) की स्थापना की जा चुकी है।

संपूर्ण कृष्णा बेसिन में टेलीमेट्री प्रणाली के विस्तार के लिए चरण- II के अंतर्गत, 29 और नए टेलीमेटरी स्टेशनों (**अनुबंध -7.3.2 में** संलग्न) की स्थापना के लिए स्थानों का चयन किया गया है। इसके अलावा तेलंगाना राज्य ने 21 अतिरिक्त टेलीमेट्री स्टेशनों की स्थापना का प्रस्ताव भी किया है। यह भी देखा गया कि चरण-1 में स्थापित कुछ टेलीमेट्री स्टेशन प्रतिकूल हाइड्रोलिक स्थितियों के चलते कार्यरत नहीं है। इस संबंध में बोर्ड की सातवीं बैठक में इस तथ्य को बोर्ड के संज्ञान में लाया गया।

टेलीमेट्री एवं मॉडल केंद्रों से संबंधित कुछ चित्र नीचे दर्शाए गए है।

टेलीमेट्री मॉडल केंद्र,हैदराबाद

एनएसपी बाईं नहर के 0.44 किमी पर टेलीमेट्री केंद्र

पालेरू अपस्ट्रीम के136.845 किमी पर टेलीमेट्री केंद्र

पोथिरेड्डीपाडु हेड रेग्यूलेटर के डाऊनस्ट्रीम में12.265 किमी परस्थित टेलीमेट्री केंद्र

7.4 वेबसाइट का विकास

वर्तमान में केआरएमबी वेबसाइट को सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस (सीजीजी), हैदराबाद के सर्वर पर डोमेन नाम 'krmb.cgg.gov.in' के साथ होस्ट किया गया है। सभी परियोजना अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे इस वेब साइट में जलाशयों के प्रवाह और बहिर्प्रवाह संबंधी दैनिक विवरण को अपलोड करें। तदनुसार, प्रत्येक राज्य के जल उपयोग खातों पर भी यह प्रभावी होंगी। दोनों राज्यों को यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए की भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक डेटा विवरण में सामंजस्य होना चाहिए।

7.5 तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश की सरकारों द्वारा कृष्णा बेसिन में मंजूरी के लिए लंबित परियोजनाओं की डीपीआर प्रस्तुत करना।

आंध्रप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 85 (8) के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक बोर्ड के कार्य इस प्रकार हैं- कृष्णा नदी पर बनने वाली नई परियोजनाओं के प्रस्तावों का मूल्यांकन करना और तकनीकी मंजूरी यह संतुष्ट होने के बाद देना कि ऐसी परियोजनाएं नियत दिन से पहले पूरी हो चुकी या नियत दिन से पहले शुरु की गई अन्य परियोजनाओं के लिए अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के तहत गठित न्यायाधिकरणों द्वारा दिए गए आवंटन के अनुसार, पानी की उपलब्धता को नकारात्मक रूप से प्रभावित तो नहीं करती हैं।

इस सन्दर्भ में केआरएमबी ने दोनों राज्यों से ए.पी. पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की ग्यारहवीं अनुसूची के तहत आने वाली परियोजनाओं और कृष्णा बेसिन में नई परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है। हालाँकि, किसी भी राज्य द्वारा KRMB को अभी तक कोई डीपीआर प्रस्तुत नहीं की गई है।

7.6 पन बिजली

कृष्णा नदी परदोनों राज्यों द्वारा पन बिजली परियोजनाओं की स्थापना की गई है। इनमें प्रियदर्शिनी जुरला, निचली जुरला, श्रीशैलम दाईं बाँध (right bank), श्रीशैलम बाईं बाँध (left bank)बिजली घर, नागार्जुन सागर मुख्य बाँध बिजली घर, नागार्जुन सागर दाईं नहर बिजली घर, नागार्जुन सागर बाईं नहर बिजली घर, नागार्जुन सागर टेल-पोंड बिजली घर एवं पुलिचिंतला बिजली घर आदि शामिल हैं।

गूगल-अर्थ में पावर प्लांट के स्थान पृष्ठ संख्या 32 में दिखाए गए हैं। पावर प्लांट और उनकी कैपेसिटी को अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम तक लोकेशन के क्रम में एनेक्सचर-7.6 में दिया गया है।

वर्तमान में, ये संयंत्र इनकी भौगोलिक स्थिति के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा संचालित किए जा रहे हैं ।

अवर सचिव जल संसाधन मंत्रालय आरडी&जीआर की अध्यक्षता में नई दिल्ली में दिनांक 19 जून 2015 को संपन्न बैठक में दोनों राज्यों द्वारा यहसहमति व्यक्त की गयी कि विद्युत उत्पादन जारी रखने की स्थिति में नागर्जुन सागर एवं श्रीशैलम बाँध से लिए गए पानी की मात्रा परिशिष्ट3.1 के अनुबंध के अनुसार सुनिश्चित की जासके।

तदानुसार दोनों राज्यों द्वारा श्रीशैलम बिजली घर से 50:50 के अनुपात में विद्युत लाभ प्राप्त करने के लिए पानी छोड़ने पर भी सहमति दी गयी।

जल वर्ष 2017-18 के दौरान कृष्णा नदी पर स्थित विभिन्न विद्युत संयंत्रों में उत्पन्न हुई पन बिजली उत्पादन(मिलियन यूनिट) निम्नलिखित तालिका में दी गई है।

माह	श्रीशैलम आरबी	एनएस आरबसी	श्रीशैलमएलबी	एनएस डैम	एनएस एलबीसी	प्रियदर्शिनी जूराला	निचली जुराला	पुलिचिंतला	एनएस टेल पांड
जून-17	0	0	0	0.001	0	0	0	0	0.740
जुलाई-17	0	0	0	0.007	0	0	0.174	0	0.300
अगस्त-17	0	0	0	0	0	0.168	0.126	0	0.600
सित-17	42.460	0	204.418	0	0	98.952	94.715	0	0.080
अक्तू-17	229.140	0	375.565	0	0	115.038	105.545	3.894	0.150
नव-17	5.730	27.560	65.764	6.638	8.919	2.758	3.665	2.711	1.620
दिसं-17	0.560	19.400	41.554	57.521	3.785	0.483	0.733	0	14.040
जनवरी-18	70.180	10.110	35.249	27.253	1.125	0	0.603	0	8.550
फरवरी-18	110.860	0	44.600	26.914	0	0	0	0	1.610
मार्च-18	98.340	0	57.044	35.457	0	0	0	0	5.210
अप्रैल-18	17.450	0	0.395	5.185	0	0	0.272	0	1.150
मई-18	2.590	0	0	8.588	0	0	0.013	0	0.320
कुल	577.310	57.070	824.589	167.564	13.829	217.399	205.846	6.605	34.370

चित्र में गुगुल की सहायता से बिजली संयंत्रों के भौतिक स्थान को दर्शाया गया है

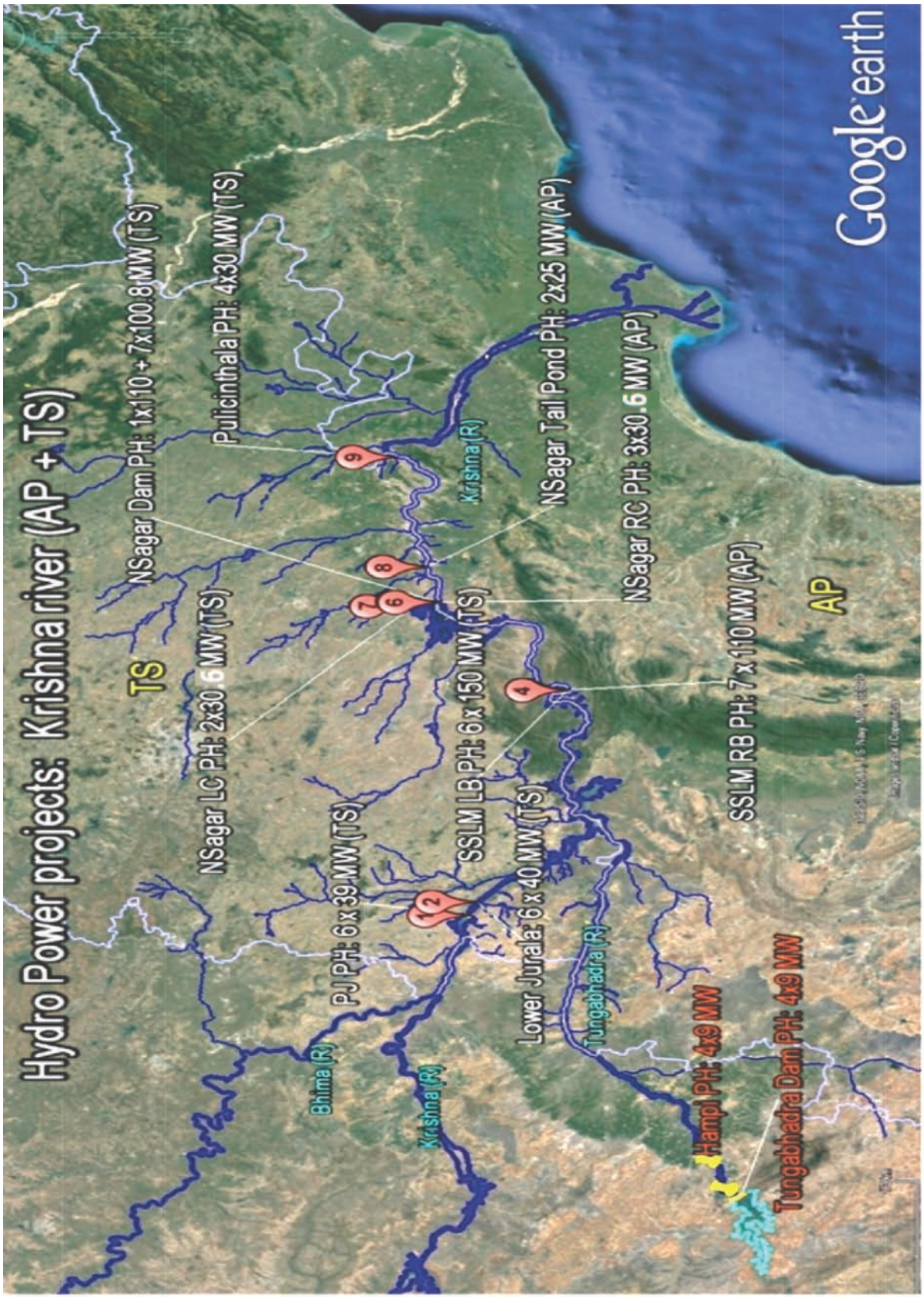

7.7 अंतरराज्यीय परियोजनाओं से उत्पन्न विद्यत का विनियमन

आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2014 की धारा 85 (8) (बी) के अनुसार, वर्तमान आंध्र प्रदेश सरकार एवं किसी अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार के साथ में किए गए विद्युत वितरण समझौते को ध्यान में रखते हुए उत्पन्न बिजली की आपूर्ति का विनियमन कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड द्वारा किया जाएगा।

तुंगभद्रा अंतरराज्यीय बिजली परियोजना के मामले में यह देखा गया है कि तुंगभद्रा नदी पर दो अंतर-राज्यीय बिजली घर (जैसे हम्पी बिजली घर 4 x 9 मेगावाट और तुंगभद्रा बांध बिजली घर4 x 9 मेगावाट) हैं। इससे पूर्व उत्पादित बिजली कर्नाटक एवं अविभाजित आंध्र प्रदेश राज्यों के बीच बांटी जाती थी। दक्षिण क्षेत्रीय विद्युत समिति, बैंगलूरू की मासिक रिपोर्टों के अनुसार उपरोक्त दोनों बिजली घरों से उत्पादित कुल बिजली (8x 9 = 72 मेगावाट) में से आंध्र प्रदेश को इस का 80% भाग (यानी 57.6 मेगावाट) प्राप्त है।

गौरतलब है कि एक अन्य परियोजना "तुंगभद्रा बोर्ड" का गठन, जिसे आंध्र प्रदेश राज्य अधिनियम, 1953 की धारा 66 के तहत उपधारा (4) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राष्ट्रपति द्वारा तुंगभद्रा परियोजना को पूर्ण करने एवं इसके संचालन व रखरखाव के लिए किया गया। वर्तमान में तुंगभद्रा बोर्ड द्वारा तुंगभद्रा जलाशय से सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन और अन्य उपयोगों के लिए पानी का विनियमन किया जाता है।

7.8 ई-गवर्नेन्स

ई-गवर्नेंस का लक्ष्य नागरिकों को एक कुशल और किफायती तरीके से विभिन्न प्रकार की सूचनाएँ और संचार प्रौद्योगिकी सेवाओं की पेशकश करना है और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके सरकार और नागरिकों के बीच संबंधों को मजबूत करना है।

भारत सरकार विभिन्न डिजिटल इंडिया कंपोनेंट्स की शुरुआत कर रही है।

डिजिटल इंडिया के निम्नलिखित घटक (कंपोनेंट्स) को केआरएमबी द्वारा अपनाया गया है।

ई - खरीददारी

सरकार ने 01-04-2016से न्यूनतमरु2.00 लाख दरों वाले निविदा संबंधी सभी खरीद ई-प्रोक्योरमेंट द्वारा करने की पहल की है। तदानुसार केआरएमबी द्वारा https://eprocure.gov.in/ से ई-निविदा द्वारा खरीद की जाती है।

7.9 केआरएमबी द्वारा गठित समितियाँ

दिनांक**04-11-2017** को आयोजित बोर्ड की **7** वीं बैठक के दौरान लिए गए निर्णय के अनुपालन में, केआरएमबी ने दोनों राज्यों और केआरएमबी के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए कुछ समितियों का गठन किया था ताकि निम्नलिखित मुद्दों की जांच की जा सके और अगली बैठक में निर्णय लेने के लिए इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके।

ये समितियाँ निम्नप्रकार हैं:

1. नागार्जुन सागर लेफ्ट कैनाल में जल रिसाव के कारण दोनों राज्यों को होने वाले पानी के नुकसान का लेखा-जोखा तैयार करना।
2. (अ)केडब्लयूडीटी के अंतिम आदेश के खंड VII के अनुसार घरेलू और नगर निगम हेतु जलापूर्ति के20% संबंधी लेखांकन।

   (आ) वर्ष 2017-18 के दौरान श्रीशैलम से जारी तथा एनएसपी में प्राप्त जल में अंतर का अध्ययन करना
3. प्रथम चरण में टेलीमेटरी स्टेशनों की कैलिब्रेशन तथा चरण- II हेतु टेलीमेटरी स्थानों से संबंधित संस्तुति करना।

इन समितियों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों के बारे में राज्यों को अवगत कराया गया और साथ ही समितियों की रिपोर्ट बोर्ड की अगली बैठक में रखी गई।

7.10 टेलीमेटरी के प्रथम चरणके कैलिब्रेशन एवं द्वितीय चरणके लिए टेलीमेटरी स्थानों से संबंधित संस्तुति करने हेतु समिति।

टेलीमेट्री स्टेशनों के अंशांकन के लिए NSP बाईं नहर(एपी और तेलंगाना बोर्डर)पर KRMB टीम और राज्य सरकार के अधिकारी।

दिनांक 04-11-2017 को आयोजित बोर्ड की सातवीं बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसरण में कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड (केआरएमबी), आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना सरकार के संयुक्त तत्वावधान में प्रथम चरण में टेलीमेटरी स्टेशनों की कैलिब्रेशन तथा चरण- II हेतु टेलीमेटरी स्थानों से संबंधित संस्तुति करने हेतु एक समिति का गठन किया गया।

समिति का गठन :-

समिति में केआरएमबी, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्य के सदस्य शामिल हैं।

केआरएमबी से समिति के सदस्यः-

- श्री टी वेंकटेश्वरलू, सदस्य (विद्युत केआरएमबी) समिति के संयोजक
- श्री डी अशोकन, उप निदेशक, केआरएमबी
- श्री के श्रीनाधुडु, सहायक निदेशक– II केआरएमबी

इस समिति को चरण- I के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य सौंपे गए।

a) समिति द्वारा पोतीरेड्डी पाडू हेड रेग्यूलेटर टेलीमेटरी एवं क्रमशः निम्नवत परियोजनाओं का कैलिब्रेशन करना।
   1. नागार्जुन सागर लेफ्ट कैनाल हेड रेगुलेटर
   2. नागार्जुन सागर राइट कैनाल हेड रेगुलेटर
   3. नेट्टेमपाडू
   4. पालेरू अप/स्ट्रीम

b) समिति को कुछ स्थानों पर पानी के वास्तविक व सटीक प्रवाह (डिस्चार्ज) प्राप्त करने हेतु कुछटेलीमेट्री स्टेशनों पर अतिरिक्त वेग सेंसर की आवश्यकता पर जांच करनी है।

c) समिति को पानी के लेखांकन में प्रत्येक कैलिब्रेटेड टेलीमेट्री स्टेशन के डेटा को जल्दी शामिल करने केसंबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।

टेलीमेट्री के प्रथम चरण में विभिन्न परियोजनाओं एवं नहर प्रणालियों पर कुल 18 टेलीमेट्री स्टेशन हैं। इनमें जूराला, श्रीशैलम तथा नागार्जुन सागर बांध (13 स्थानों पर स्तर सेंसर एवं 5 स्थानों पर स्तर और वेग सेंसर) तथा इसकी नहर प्रणालिया शामिल हैं।बोर्ड के अधिकारियों ने एजेंसी द्वारा कैलिब्रेट किए हुए टेलीमेट्री सेंसरो का अवलोकन किया एवं एडीसीपी रीडिंग और टेलीमेट्री रीडिंग का सत्यापन भी किया।

अध्याय –8
बजट औरव्यय

8.1 बोर्ड के लिए निधि

आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 86 (2) के अनुसार, बोर्ड के कार्यों के निर्वहन के लिए(जिसमें कर्मचारियों के वेतन और भत्ते भी शामिल होंगे) तथा सभी खर्चों को पूरा करने के लिए दोनों नव निर्मित राज्यों की सरकारें बोर्ड को हर समय आवश्यक धनराशि प्रदान करती हैं । केन्द्र सरकार के निदेशानुसार यह राशि संबंधित राज्यों के बीच राज्यों के लाभ को ध्यान में रखते हुए विभाजित की जाती है । हॉलाकि, कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड को शुरू में धनराशि की व्यवस्था आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा ही प्रदान की जाती है । दोनों राज्यों ने व्यय की राशि को 50 : 50 प्रतिशत के अनुपात में बटवारा करने पर अपनी सहमति जतायी है ।

8.2 वित्त वर्ष् 2017-18 के दौरान बजट और व्यय (अप्रैल-17 से मार्च–18 तक)

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान किए गए बजट के आवंटन और व्यय का विवरण नीचे दिया गया है:

(रु लाख में)

क्रम संख्या.	विवरण	राशि
1	**बोर्ड द्वारा स्वीकृत बजट**	1683.00
2	वर्ष2017-18 के दौरान जारी बजट की राशि	220.10
3	2017-18 **के दौरान व्यय**	379.69
	31.03.2018 को शेष राशि	**(-)159.59**

इस वर्ष में हुए अतिरिक्त व्यय रू 159.59 लाख रुपये को पिछले वर्षों की बचत राशि से पूरा कर लिया गया है ।

इसके अलावा, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान टेलीमेट्री सिस्टम की स्थापना के लिए 4.00 करोड़ रुपये की निधि का आबंटन किया गया ।वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान 400.00 लाख रूपये का आवंटन किया गया जिसमें से 13.65 लाख रूपये का खर्च किया गया और रु. 386.35 लाख की राशि शेष रही।शेष राशि 386.35 लाख में से वर्ष 2017-18 के दौरान 112.14लाख् रूपये का खर्च किया गया ।

(रूपये लाखें में)

विवरण	राशि
टेलीमेटरी	
वर्ष् 2016-17 के दौरान रु 400 लाख में से शेष राशि	386.35
वर्ष् 2017-18 के दौरान व्यय	112.14
शेष राशि	**274.21**

नोट: कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड (केआरएमबी) को दिनांक 01-01-2015 को जल संसाधन मंत्रालय से रु 1.00 करोड़ प्राप्त हुए और इसे भारतीय स्टेट बैंक, खैराताबाद शाखा, हैदराबाद में जमा किया गया।

मूलभूत सुविधाएँ/ कार्यालय परिसर

बोर्ड के लिए मूलभूत सुविधाएँ/कार्यालय परिसर के लिए तेलंगाना सरकार द्वारा जल सौधा भवन,पांचवा तल,एर्रमंजिल, हैदराबाद में प्रावधान किया गया ।

अध्याय 9
कार्य नियमावली एवं अधिकार - क्षेत्र

9.1 कार्य नियमावली

आंध्र प्रादेश राज्य अधिनियम, 2014 की धारा 88 के अनुसार, बोर्ड अधिनियम के तहत और वहां बनाए गए नियमों के अनुरूप निम्नलिखित नियम बना सकता है।

(क) बोर्ड की बैठकों का समय और स्थान और ऐसी बैठकों में कामकाज की प्रक्रिया का पालन किया जाने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को विनियमित करना है ।

(ख) अध्यक्ष या बोर्ड के किसी अधिकारी की शक्तियों और कर्तव्यों का अधिकार हस्तांतरण।

(ग) बोर्ड के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तों का विनियमन और नियुक्ति करना ।

(घ) कोई अन्य मामला जिसके लिए बोर्ड द्वारा नियमों को आवश्यक माना जाता है ।

तदनुसार, कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड द्वारा बोर्ड के दैनिक कार्यों के लिए आवश्यक ड्राफ्ट वर्किंग मैनुअल जिसमें नियम, कामकाज की प्रक्रिया, बैठकें आयोजित करना, कर्मचारियों की आवश्यकता आदि शामिल हैं, तैयार किया गया।

दिनांक 22-08-2017 और 04-11-2017 को आयोजित बोर्ड की 6 वीं और 7 वीं बैठकों में कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड के कार्य नियमावली पर चर्चा की गई थी। बोर्ड के सदस्यों द्वारा दिए गए संशोधनों / सुझावों पर चर्चा की गई ।

कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड ने मसौदा तैयार करने के लिए दोनों राज्यों को बोर्ड के सदस्यों के विचारों / टिप्पणियों पर विचार करने के लिए कार्य नियमावली को परिचालित किया और इसके अंतिम रूप के लिए टिप्पणियों / सहमति प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया।

सरकार के विशेष मुख्य सचिव, सिंचाई और कमांड क्षेत्रविकास (I&CAD)विभाग, तेलंगाना ने कुछ अवलोकनों को प्रस्तुत किया और कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड(KRMB)के कार्य नियमावली में इसे शामिल करने का अनुरोध किया। इसे अंतिम रूप देने के लिए अगली बोर्ड बैठक में चर्चा करने का प्रस्ताव था।

9.2 अधिकार –क्षेत्र

एपीआर अधिनियम, 2014 की धारा 87 (1) के अनुसार, बोर्ड का अधिकार क्षेत्र तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर बनी उन परियोजना के हेडवर्क (बैराज, बांध, जलाशय, वितरण संरचना), तथा संबंधित राज्यों को जल या बिजली पहुंचाने के लिए आवश्यक नहर नेटवर्क और ट्रांसमिशन लाइनों पर होगा जिनहे अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के तहत गठित न्यायाधिकरणों द्वारा दिए गए आवंटन को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया किया गया हो।

यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या बोर्ड को वहाँ संदर्भित किसी भी परियोजना पर उप-धारा (1) के तहत अधिकार क्षेत्र है, तो वहाँ पर मामला निर्णय के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।

दिनांक 04-11-2017 को आयोजित बोर्ड की 7 वीं बैठक में क्षेत्राधिकार के मुद्दे पर चर्चा की गई। इसके बाद, दोनों राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बकाया मुद्दे पर नई दिल्ली में दिनांक 15-02-2018 को सचिव, एम ओ डब्लू आर, आर डी और जी आर (MoWR,RD & GR) द्वारा बुलाई गई बैठक में इसी मुद्दे पर चर्चा की गई। इस बैठक यह निर्णय लिया गया कि क्षेत्राधिकार की अधिसूचना पर अंतिम निर्णय शीर्ष परिषद (apex council) की बैठक में लिया जाएगा।

अध्याय 10
संसदीय प्रश्न, आरटीआई, वीआईपी संदर्भ और अदालत के मामले

10.1 संसदीय प्रश्न

वर्ष 2017-18 के दौरान, कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड (केआरएमबी) द्वारा बीस (20) संसद प्रश्न (लोकसभा और राज्यसभा) के उत्तर तैयार करने के लिए जल संसाधन, आरडी एंड जीआर मंत्रालय को प्रासंगिक जानकारी /आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध् कराई गई ।

10.2 सूचना अधिकार (आरटीआई)

कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड(केआरएमबी) में सूचना अधिकार (आरटीआई)के कार्यान्वयन हेतु अधिनियम 2005 को लागू करने के लिएश्री के श्रवण कुमार रेड्डी, अधीक्षण अभियंता को कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड के लिए केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) के रूप में नामित किया गया है और सदस्य सचिव को अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

वर्ष 2017-18 के दौरान, कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड को विभिन्न व्यक्तियों / संगठनों से आठ (8) आरटीआई आवेदन प्राप्त हुए हैं और सभी आवेदकों को उत्तर भेज दिए गए हैं।

10.3 वीआईपी संदर्भ

कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड (केआरएमबी) ने वर्ष 2017-18 के दौरान प्राप्त आठ (8) वीआईपी संदर्भों के जवाब के लिए जल संसाधन, आरडी एंड जीआर मंत्रालय को प्रासंगिक सामग्री प्रदान की है।

10.4 न्यायालय के मामले: - शून्य

अध्याय- 11
अन्य गतिविधियां

11.1 **स्वच्छता पखवाड़ा**

भारत सरकार ने सार्वभौमिक स्वच्छता व्याप्ति(कवरेज) प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने और 2019 तक स्वच्छ भारत को प्राप्त करने के प्रयासों को तेज करने के लिए, महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती पर एक श्रद्धांजलि के रूप में, 2 अक्टूबर, 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की। यह मिशन ग्रामीण / शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता के स्तर को सुधार कर उन बाधाओं को दूर करने का प्रयास करेगा जो प्रगति की राह में बाधक बने हुए हैं।

नागरिकों में निरंतर जुड़ाव और उच्च जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए, स्वच्छ भारत मिशन के कार्यान्वयन के लिए सरकारी विभागों, संस्थानों आदि द्वारा, नियमित अंतराल पर विषय पर आधारित स्वच्छता अभियान(ड्राइव) कार्य योजना बनाई जा रही है।

वर्ष 2017-18 के दौरान, भारत सरकार द्वारा16 मार्च 2018 से 31 मार्च 2018 तक स्वच्छ पखवाड़ा कार्यक्रम शुरू किया गया ।

एमओडब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर के निर्देशों के अनुपालन में, स्वच्छ पखवाड़ा - 2018 को बड़े उत्साह के साथ मनाया गया और कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड(केआरएमबी), हैदराबाद में स्वच्छता कार्य योजना के अनुसार गतिविधियाँ का आयोजन किया गया । इस कार्यक्रम के दौरान अंदर और बाहर दोनों तरह की कई गतिविधियाँ शुरू की गईं। शुरुआत में, 16 मार्च 2018 को, कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड (केआरएमबी) के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने स्वच्छता प्रतिज्ञा ली और फिर कार्यालय परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया गया । स्वच्छ पखवाड़ा के दौरान की जाने वाली गतिविधियाँ नीचे सूचीबद्ध किया गया है ।

1. अध्यक्ष / सदस्य सचिव, कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड (केआरएमबी) द्वारा उद्घाटन
2. कार्यालय मेज, कुर्सियों, एसी मशीनों की सफाई
3. सभी अनुभागों के वार्डरोब एवं अलमारियों की सफाई,
4. पुराने समाचार पत्रों का निपटान
5. रद्दी कागजों का निपटान
6. कार्यालय परिसर की सफाई
7. कार्यालय के गलियारों एवं सोफा सेट की सफाई
8. सभी अनुभागों से संबंधित फाइलों की सफाई
9. सभी खिड़कियों के ग्लास की सफाई
10. खिडकी के परदों की सफाई
11. कंप्यूटर, प्रिंटर, ज़ेरॉक्स मशीन और इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड आदि की सफाई।

12. हैदराबाद के हुसैन सागर झील के आसपास सफाई अभियान
13. कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड (केआरएमबी) के कार्यालय परिसर में पौधा रोपण एवं हुसैन सागर झील के आस पास वृक्षारोपण अभियान ।

हैदराबाद में हुसैन सागर एक दिल के आकार की झील है जिसे इब्राहिम कुली कुतुब शाह ने 1563 में अपने शासनकाल के दौरान बनवाया था। यह 5.7 वर्ग किमी के क्षेत्र में फैला हुआ है और इसे मुसी नदी द्वाराभरा जाता है। 1992 में बनाई गई गौतम बुद्ध की एक विशाल अखंड मूर्ति, झील के बीच में जिब्राल्टर रॉक पर खड़ी है। यह हैदराबाद को अपने जुड़वां शहर सिकंदराबाद से अलग करता है। झील की अधिकतम गहराई 32 फीट है।

स्वच्छ पखवाड़ा के भाग के रूप में, कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड(केआरएमबी) के अधिकारियों ने हुसैन सागर झील में और उसके आसपास सफाई की। इस में संबंध में महात्मा गांधी के कहावत के अनुसार "आप जो उपदेश देते हैं उसका पालन करें",जिस के अनुसार रैली के माध्यम से जनता के बीच जागरूकता पैदा करने का प्रयास कियाऔर आस पास के जल निकायों को स्वच्छकरने की कोशिश की।

हैदराबाद के हुसैन सागर झील, में कूड़े, प्लास्टिक, ठोस अपशिष्ट और वृक्षारोपण, आदि और हुसैन सागर झील के आसपास में सफाई अभियानकेदौरानकृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड के सभी कर्मचारियों के सहयोग से सफलतापूर्वक पूरा किया गया ।कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड, हैदराबादके स्वच्छता पर्यवेक्षक श्री सरबजीत वालिया, मुख्य (प्रशासन एंव बिजनेस प्रमोशन), वेपकोस लिमिटेड,(WAPCOS Ltd), विभिन्न गतिविधियों के दौरान मौजूद थे।

कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड के अधिकारी एवं कर्मचारी स्वच्छता शपथ लेतु हुए

स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान अध्यक्ष, कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड

स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान सदस्य (विद्युत)

स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान अधीक्षण अभियंता और उप निदेशक

स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान कार्यकारी अभियंता

स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान आहरण एवं संवितरण अधिकारी

स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान उप कार्यकारी अभियंता और सहायक निदेशक- II

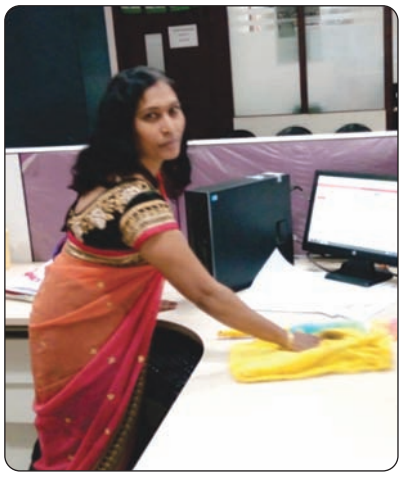
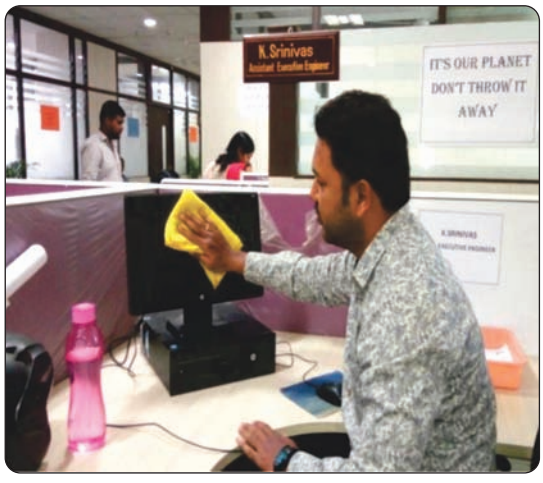

स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान सहायक कार्यकारी अभियंता

केआरएमबी द्वारा आयोजित स्वच्छता पखवाड़ा अभियान2018(दिनांक 26-03-2018 से दिनांक 28-03-2018 तक) के दौरानहैदराबाद के हुसैन सागर झील, के आसपास केआरएमबी द्वारा किए गए कार्य को निम्नलिखित छायाचित्रों द्वारा दर्शाया गया है।

स्वच्छ पखवाड़ा के दौरान केआरएमबी के अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा की गई गतिविधियाँ

स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान अधीक्षण अभियंता

स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान वेप्कोस (WAPCOS) लिमिटेड के स्वच्छता पर्यवेक्षक

स्वच्छ पखवाड़ा के दौरान केआरएमबी (KRMB) अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा वृक्षारोपण

(पहले)

(बाद में)

स्वच्छता पखवाड़ा 2017-18 से पहले और बाद में हुसैन सागर झील का हिस्सा

स्वच्छ पखवाड़ा 2017-18 के दौरान केआरएमबी(KRMB)द्वारा जागरूकता रैली

11.2 सतर्कता जागरूकता सप्ताह

जैसा कि केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा तय किया गया था, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 30 अक्टूबर से 4 नवंबर, 2017 तक 'माई विजन-करप्शन फ्री इंडिया' (मेरा लक्ष्य - भ्रष्टाचार मुक्त भारत) विषय के साथ मनाया गया।

हर साल सतर्कता जागरूकता सप्ताह का पालन एक बहु-आयामी दृष्टिकोण का एक हिस्सा है, जिसमें अन्य रणनीतियों में से एक है, सभी हितधारकों को सामूहिक रूप से भ्रष्टाचार की रोकथाम, कारणों औरगंभीरता के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना और भ्रष्टाचार से लड़ना एवंउत्पन्न खतरों को बताना है ।

केआरएमबी को सलाह दी गई कि वे संगठन के भीतर, और जनता / नागरिकों के लिए प्रासंगिक गतिविधियों का संचालन कार्य करें । केआरएमबी में सतर्कता जागरूकता सप्ताह का अवलोकन 30 अक्टूबर, 2017 को प्रातः 11 बजे, केआरएमबी के अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा वफ़ादारी प्रतिज्ञा के साथ शुरू हुआ। सीवीसी द्वारा विकसित ऑनलाइन "वफ़ादारी प्रतिज्ञा" केआरएमबी के अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा ली गई थी।

कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड द्वाराप्रमुख स्थानों पर सतर्कता से संबंधित पोस्टर प्रदर्शित किए गए थे। कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड में विभिन्न गतिविधियों जैसे व्याख्यान और पैनल चर्चा का आयोजन किया गया था। केआरएमबी द्वारा सरकारी हाई स्कूल, राजभवन रोड, हैदराबाद के बच्चों के लिए 'मेरा विजन-भ्रष्टाचार मुक्त भारत' विषय पर निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था।

कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया ।

अनुलग्नक – 1.1

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰—(एन)04/0007/2003—14 REGISTERED NO. DL—(N)04/0007/2003—14

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II — खण्ड 1
PART II — Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 6] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 1, 2014/ फाल्गुन 10, 1935 (शक)
No. 6] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 1, 2014/PHALGUNA 10, 1935 (SAKA)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

New Delhi, the 1*st March,* 2014/*Phalguna* 10, 1935 *(Saka)*

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 1st March, 2014, and is hereby published for general information:—

THE ANDHRA PRADESH REORGANISATION ACT, 2014

No. 6 of 2014

[1*st March*, 2014.]

An Act to provide for the reorganisation of the existing State of Andhra Pradesh and for matters connected therewith.

Be it enacted by Parliament in the Sixty-fifth Year of the Republic of India as follows:—

PART I

Preliminary

1. This Act may be called the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014. Short title.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,— Definitions.

(*a*) "appointed day" means the day which the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint;

(*b*) "article" means an article of the Constitution;

(*c*) "assembly constituency", "council constituency" and "parliamentary constituency" have the same meanings as in the Representation of the People Act, 1950; 43 of 1950.

(*5*) The report of the Andhra Pradesh Public Service Commission as to the work done by the Commission in respect of any period prior to the appointed day shall be presented under clause (2) of article 323 to the Governors of the States of Andhra Pradesh and Telangana and the Governor of the State of Andhra Pradesh shall, on receipt of such report, cause a copy thereof together with a memorandum explaining as far as possible, as respects the cases, if any, where the advice of the Commission was not accepted, the reasons for such non-acceptance to be laid before the Legislature of the State of Andhra Pradesh and it shall not be necessary to cause such report or any such memorandum to be laid before the Legislative Assembly of the State of Telangana.

PART IX

MANAGEMENT AND DEVELOPMENT OF WATER RESOURCES

Apex Council for Godavari and Krishna river water resources and their Management Boards.

84. (*1*) The Central Government shall, on and from the appointed day, constitute an Apex Council for the supervision of the functioning of the Godavari River Management Board and Krishna River Management Board.

(*2*) The Apex Council shall consist of—

(*a*) Minister of Water Resources, Government of India—Chairperson;

(*b*) Chief Minister of State of Andhra Pradesh—Member;

(*c*) Chief Minister of State of Telangana—Member.

(*3*) The functions of the Apex Council shall include—

(*i*) supervision of the functioning of the Godavari River Management Board and Krishna River Management Board;

(*ii*) planning and approval of proposals for construction of new projects, if any, based on Godavari or Krishna river water, after getting the proposal appraised and recommended by the River Management Boards and by the Central Water Commission, wherever required;

(*iii*) resolution of any dispute amicably arising out of the sharing of river waters through negotiations and mutual agreement between the successor States;

(*iv*) reference of any disputes not covered under Krishna Water Disputes Tribunal, to a Tribunal to be constituted under the Inter-State River Water Disputes Act, 1956. 33 of 1956.

Constitution and functions of River Management Board.

85. (*1*) The Central Government shall constitute two separate Boards to be called the Godavari River Management Board and Krishna River Management Board (to be known as the Board), within a period of sixty days from the appointed day, for the administration, regulation, maintenance and operation of such projects, as may be notified by the Central Government from time to time.

(*2*) The headquarters of Godavari River Management Board shall be located in the successor State of Telangana and of the Krishna River Management Board shall be located in the successor State of Andhra Pradesh.

(*3*) The Godavari River Management Board and Krishna River Management Board shall be autonomous bodies under the administrative control of the Central Government, and shall comply with such directions as may, from time to time, be given to them by the Central Government.

(*4*) Each Board shall consist of the following Chairperson and Members, namely:—

(*a*) a Chairperson not below the rank or level of Secretary or Additional Secretary to the Government of India to be appointed by the Central Government;

(*b*) two members, to be nominated by each of the successor States, of which one shall be the technical member not below the rank of Chief Engineer and the other administrative member to represent the concerned States;

(*c*) one expert to be nominated by the Central Government.

(*5*) Each Board shall have a full-time Member Secretary, not below the rank of Chief Engineer in the Central Water Commission, to be appointed by the Central Government.

(*6*) The Central Government shall create such number of posts of the rank of Chief Engineer in the Central Water Commission, as it considers necessary.

(*7*) Each Board shall be assisted in the day to day management of reservoirs by the Central Industrial Security Force constituted under the Central Industrial Security Force Act, 1968, on such terms and conditions as the Central Government may specify.

50 of 1968.

(*8*) The functions of each Board shall include—

(*a*) the regulation of supply of water from the projects to the successor States having regard to—

(*i*) awards granted by the Tribunals constituted under the Inter-State River Water Disputes Act, 1956;

33 of 1956.

(*ii*) any agreement entered into or arrangement made covering the Government of existing State of Andhra Pradesh and any other State or Union territory;

(*b*) the regulation of supply of power generated to the authority in-charge of the distribution of power having regard to any agreement entered into or arrangement made covering the Government of the existing State of Andhra Pradesh and any other State or Union territory;

(*c*) the construction of such of the remaining on-going or new works connected with the development of the water resources projects relating to the rivers or their tributaries through the successor States as the Central Government may specify by notification in the Official Gazette;

(*d*) making an appraisal of any proposal for construction of new projects on Godavari or Krishna rivers and giving technical clearance, after satisfying that such projects do not negatively impact the availability of water as per the awards of the Tribunals constituted under the Inter-State River Water Disputes Act, 1956 for the projects already completed or taken up before the appointed day; and

33 of 1956.

(*e*) such other functions as the Central Government may entrust to it on the basis of the principles specified in the Eleventh Schedule.

Staff of the Management Board.

86. (*1*) The Board shall employ such staff as it may consider necessary for the efficient discharge of its functions under this Act and such staff shall, at the first instance, be appointed on deputation from the successor States in equal proportion and absorbed permanently in the Board.

(*2*) The Government of the successor States shall at all times provide the necessary funds to the Board to meet all expenses (including the salaries and allowances of the staff) required for the discharge of its functions and such amounts shall be apportioned between the States concerned in such proportion as the Central Government may, having regard to the benefits to each of the said States, specify.

(*3*) The Board may delegate such of its powers, functions and duties as it may deem fit to the Chairman of the said Board or to any officer subordinate to the Board.

(*4*) The Central Government may, for the purpose of enabling the Board to function efficiently, issue such directions to the State Governments concerned, or any other authority, and the State Governments, or the other authority, shall comply with such directions.

Jurisdiction of Board.

87. (*1*) The Board shall ordinarily exercise jurisdiction on Godavari and Krishna rivers in regard to any of the projects over headworks (barrages, dams, reservoirs, regulating structures), part of canal network and transmission lines necessary to deliver water or power to the States concerned, as may be notified by the Central Government, having regard to the awards, if any, made by the Tribunals constituted under the Inter-State River Water Disputes Act, 1956. 33 of 1956.

(*2*) If any question arises as to whether the Board has jurisdiction under sub-section (*1*) over any project referred thereto, the same shall be referred to the Central Government for decision thereon.

Power of Board to make regulations.

88. The Board may make regulations consistent with the Act and the rules made thereunder, to provide for—

(*a*) regulating the time and place of meetings of the Board and the procedure to be followed for the transaction of business at such meetings;

(*b*) delegation of powers and duties of the Chairman or any officer of the Board;

(*c*) the appointment and regulation of the conditions of service of the officers and other staff of the Board;

(*d*) any other matter for which regulations are considered necessary by the Board.

Allocation of water resources.

89. The term of the Krishna Water Disputes Tribunal shall be extended with the following terms of reference, namely:—

(*a*) shall make project-wise specific allocation, if such allocation have not been made by a Tribunal constituted under the Inter-State River Water Disputes Act, 1956; 33 of 1956.

(*b*) shall determine an operational protocol for project-wise release of water in the event of deficit flows.

Explanation.— For the purposes of this section, it is clarified that the project specific awards already made by the Tribunal on or before the appointed day shall be binding on the successor States.

Polavaram Irrigation Project to be a national project.

90. (*1*) The Polavaram Irrigation Project is hereby declared to be a national project.

(*2*) It is hereby declared that it is expedient in the public interest that the Union should take under its control the regulation and development of the Polavaram Irrigation Project for the purposes of irrigation.

(*3*) The consent for Polavaram Irrigation Project shall be deemed to have been given by the successor State of Telangana.

(*4*) The Central Government shall execute the project and obtain all requisite clearances including environmental, forests, and rehabilitation and resettlement norms.

Arrangements on Tungabhadra Board.

91. (*1*) The Governments of the successor States of Andhra Pradesh and Telangana shall replace the existing State of Andhra Pradesh on the Tungabhadra Board.

(*2*) The Tungabhadra Board shall continue to monitor the release of water to High Level Canal, Low Level Canal and Rajolibanda Diversion Scheme.

PART X

INFRASTRUCTURE AND SPECIAL ECONOMIC MEASURES

Successor States to follow principles, guidelines, etc., issued by Central Government.

92. The principles, guidelines, directions and orders issued by the Central Government, on and from the appointed day, on matters relating to coal, oil and natural gas, and power generation, transmission and distribution as enumerated in the Twelfth Schedule shall be implemented by the successor States.

अनुलग्नक – 1.2

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1148] नई दिल्ली, बुधवार, मई 28, 2014/ज्येष्ठ 7, 1936
No.1148] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 28, 2014/JYAISTHA 7, 1936

जल संसाधन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मई, मई, 2014

का.आ. 1391(अ).–केन्द्रीय सरकार, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (2014 का 6) की धारा 85 की उप–धारा (1), उप–धारा (4) और उप–धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कृष्णा नदी पर केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की गई परियोजनाओं के प्रशासन, विनियमन, अनुरक्षण और प्रचालन के लिए कृष्णा नदी प्रबंध बोर्ड का गठन करती है, जो निम्नलिखित अध्यक्ष और सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :–

(क)	केन्द्रीय जल अभियांत्रिकी (समूह 'क') सेवा से भारत सरकार के अपर सचिव स्तर का कोई अधिकारी	– अध्यक्ष
(ख)	उत्तरवर्ती राज्यों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना द्वारा प्रत्येक से नामनिर्दिष्ट दो सदस्य, जिसमें एक तकनीकी सदस्य जो मुख्य अभियंता के रैंक से अन्यून नहीं होगा और अन्य प्रशासनिक सदस्य होगा, जो संबंधित राज्यों का प्रतिनिधित्व करेंगे	– सदस्य
(ग)	केन्द्रीय विद्युत अभियांत्रिकी (समूह 'क') सेवा से एक विशेषज्ञ	– सदस्य
(घ)	केन्द्रीय जल अभियांत्रिकी (समूह 'क') सेवा से एक अधिकारी, जो मुख्य अभियंता से अन्यून नहीं होगा	– सदस्य सचिव (पूर्णकालिक)

2. कृष्णा नदी प्रबंध बोर्ड का मुख्यालय हैदराबाद होगा ।

[फा.सं. 1/1/2014–एसपीआर]

उर्विला खाती, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF WATER RESOURCES

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th May, 2014

S.O. 1391(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (4) and (5) of Section 85 of the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014 (6 of 2014), the Central Government hereby constitutes the Krishna River Management Board for the administration, regulation, maintenance and operation of such projects on Krishna river, as may be notified by the Central Government from time to time, consisting of the following Chairperson and Members, namely:—

(1)	An officer of the level of Additional Secretary to the Government of India from the Central Water Engineering (Group 'A') Service	-	Chairperson
(2)	Two members, to be nominated by each of the successor States of Telangana and Andhra Pradesh, of which one shall be the technical member not below the rank of Chief Engineer and the other administrative member to represent the concerned States	-	Members
(3)	One expert from the Central Power Engineering (Group 'A') Service	-	Members
(4)	An Officer not below the rank of Chief Engineer from the Central Water Engineering (Group 'A') Service	-	Member Secretary

2. The headquarters of the Krishna River Management Board shall be at Hyderabad.

[F. No.1/1/2014-SPR]

URVILLA KHATI, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

अनुलग्नक – 3.1

के.आर.एम.बी द्वारा जल विनियमन से संबंधित मामलों की चर्चा करने हेतु 18 व 19 जून, 2015 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त के निश्कर्श कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड द्वारा जल विनियमन से संबंधित मामलों के बारे में चर्चा करने के लिए 18 व 19 जून 2015 को आयोजित बैठक में हुई चर्चा का संक्षिप्त रिकार्ड ।

1. आं.प्र व तेलंगाणा के लिए कृष्णाजल प्रबंधन बोर्ड द्वारा जल विनियमन से संबंधित मामलों के बारे में चर्चा करने के लिए अतिरिक्त सचिव, जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय की अध्यक्षता में 18 व 19 जून 2015 को एक बैठक का आयोजन किया गया । जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय के अधिकारियों के अतिरिक्त, तेलंगाणा व आं.प्र सरकार तथा कृश्णा नदी प्रबंधन बोर्ड के अधिकारी भी इस बैठक में उपस्थि थे।
2. हिस्सेदारों का स्वागत करते हुए, अतिरिक्त सचिव, जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय ने दोनों राज्यों के प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि वे इस संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत करें
3. आं.प्र के प्रतिनिधियों ने अनुरोध किया कि जल नियंत्रण के लिए कृश्णा नदी प्रबंधन बोर्ड के क्षेत्राधिकार की परियोजनाओं को तत्काल अधिसूचित करें । उन्होंने कहा कि फिलहाल तो बोर्ड के निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है । तेलंगाणा सरकार के प्रतिनिधि ने कहा कि परियोजनाएँ तथा जल नियंत्रण से संबंधित कोई निर्णय लेने से पहले यह आवश्यक है कि जल नियंत्रण के विस्तृत सिद्धांत तथा उपयुक्त कार्यान्वयन पद्धति को अपनाया जाए । इस संदर्भ में उन्होंने यह उजागार किया कि के.डब्ल्यू.डी.टी. -I अधिनिर्णय के अनुसार तत्कालीन आंध्र प्रदेश को विभिन्न परियोजनाओं में सामूहिक उपयोग के लिए 811 टीएमसी को आबंटित किया गया । तथापि तत्कालीन आं.प्र द्वारा की गई व्यवस्था/विभिन्न निर्णयों द्वारा की गई संशोधन आबंटन से दोनों राज्यों को आं.प्र. में 512 टी.एम.सी. तथा तेलंगाणा में 299 टी.एम.सी. दिया गया ।
4. आं.प्र के प्रतिनिधि संतुश्ट हुए कि तेलंगाणा का भाग केवल 279 टीएमसी है तथा कृष्णाघाटी प्रणाली का आधुनिकीकरण की पूर्ति पर ही भीमा लिफ्ट परियोजना के लिए अतिरिक्त 20 टी. एम.सी दी जाएगी । तेलंगाणा के प्रतिनिधि संतुश्ट हुए कि तत्कालीन आं.प्र द्वारा के.डब्ल्यू.डी. टी.–II के समक्ष प्रस्तुत संशोधित आबंटन विवरण को दोनों राज्यों द्वारा अनुपालन किया जाना है ।

5. बैठक में यह सहमति हुई कि उपर्युक्त मंच पर उठाये गए या उठाये जाने वाले अधिकारों के बारे में दोनों राज्यों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव न होते हुए दि.18.10.2013 (अनुलग्नक के रुप में जोडा गया) बनाई गई दोनों राज्यों के भागों को आंकडों में दर्शायी गई परियोजनाओं की सूची को केवल चालू वर्श की कार्य व्यवस्था के रुप में अनुपालन किया जाए ।
6. दोनों राज्यों की प्रतिनिधि सहमत हुए कि उनके हिस्से का जल (कहीं भी उपयोग कर सकते हैं बशर्ते कि उस स्थान पर) तथा अन्य राज्य के अधिकार प्रभावित ना हो।
7. तत्प चात परियोजना संबंधित मामलों की चर्चा हुई तथा केवल अस्थाई तौर पर जल वर्श 2015- 2016 के लिए ही कार्य व्यवस्था पर सहमति हुई ।
8. विस्तृत विचार-विमर्शों के बाद इस परियोजना से दोनों राज्यों का जल हिस्सा अनुलग्नक में उल्लिखित करने पर सहमति हुई । बायीं तट नहर के जल नियंत्रण करते समय वर्तमान प्रचलन के अनुसार ही के.आर.एम.बी दोनों राज्य, आं.प्र तथा तेलंगाणा राज्य की आव यकताओं को विधिवत्त ध्यान में लेगा !
9. एपीआरए 2014 की अनुसूची XI के अनुसार यह सहमति हुई कि दोनों राज्यों की माँगों की पूर्ति करते समय उभय शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद क्षेत्रों की पेय जल आव यकताओं को प्राथमिकता दी जाएगी ।

कृष्णा घाटी प्रणाली

10. अधिकरण अधिनिर्णय के अनुसार कृष्णाघाटी परियोजना अर्थात् प्रकाशम बैरेज, विजयवाडा के लिए 181.2 टी.एम.सी जल का आबंटन किया गया । तथापि संलग्न अनुलग्नक के अनुसार कृश्णा घाटी का भाग 151.2 टी.एम.सी है ।
11. कृष्णा घाटी की जल आव यकताओं की पूर्ति एन.एस.पी. की मध्यवर्ती योगदान द्वारा संपूरित की गई । जहाँ तक पालेरु, मुन्नेरु, तथा मूसी द्वारा नागार्जुन सागर की उपयुक्त निछली धारा जल उपज की मामले में आं.प्र सरकार ने कहा कि वह तो सिर्फ 20 टीएमएी है । तेलंगाणा सरकार के प्रतिनिधि के अनुसार यह उपज 101.2 टीएमसी है । कृश्णा घाटी को पानी छोडने के दौरान के.आर.एम.बी. द्वारा मध्यस्थ आवाहन से वास्तविक उपयोगी जल को ध्यान में रखने की बात पर सहमति हुई । कृश्णा घाटी में नहरों से हानेवाली वास्तविक बहावों का मापन तथा मूसी, पालेरु, तथा मुन्नेरु धाराओं, पुलिचिंतला में संचयन से धारा आंकडों को लेकर के.आर.एम.बी के ध्यान में रखने हेतु सीडब्ल्यू सी द्वारा नागार्जुनसागर की मध्यस्थ आवाहन निछली धारा से पानी की उपयोगी मात्रा का मूल्यांकन किया जाएगा । यह मात्रा कुल आबंटन में से घटाई जाएगी। तथा कृष्णा घाटी प्रणाली क्षेत्र तथा सिंचाई के लिए नागार्जुनसागर परियोजना से संपूरित किया जाएगा ।

12. आं.प्र प्रतिनिधि ने कहा कि यदि भीमा परियोजना के लिए 20 टी.एम.सी काजल, उपयोग हेतु चाहिए तो कृष्णा घाटी आधुनिकीकरण के खर्च को तेलंगाणा सरकार द्वारा बाँट लेना चाहिए । तेलंगाणा सरकार के प्रतिनिधि ने लागत बाँटने के विचार का तीर्व विरोध किया ।

13. नागार्जुन सागर परियोजना पर नहर प्रणाली की आवश्यकताओं तथा कृष्णा घाटी प्रणाली की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर जल का नियंत्रण किया जाएगा ।

श्रीशैलम जलाशय परियोजना

14. इस बात पर ध्यान दिया गया कि तेलुगु गंगा नहर से चेन्नई जल आपूर्ति (आं.प्र तथा तेलंगाणा का हिस्सा) के लिए 5 टी.एम.सी. की आवश्यकता है तथा एस.आर.बी.सी. के लिए 19 टी.एम.सी. की आवश्यकता है । यह सहमति दी गई कि विद्युत उत्पादन के लिए पानी छोडने के दौरान उपर्युक्त उल्लिखित अनुलग्नक के अनुसार नागार्जुन सागर तथा श्रीशैलम जलाशय के प्रतिबद्ध उपयोगों को सुनिश्चित की जाएगी ।

कार्यान्वयन पद्धति

15. दोनों राज्यों के मुख्य अभियंता तथा के.आर.एम.बी के सदस्य सचिव युक्त

समिति द्वारा संबंधित परियोजना प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गई आवश्यकताओं तथा कुल उपलब्ध जल को ध्यान में रखते हुए परियोजना प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत निर्णय का अनुपालन संबंधित राज्य परियोजना प्राधिकारियों द्वारा किया जाएगा ।

16. उपरोक्त समिति अनुसंलग्नक में दर्शित के.सी.कैनाल, जूराला एवं आर.डी.एस. से छोडने वाले पानी का भी नियंत्रण करेगा ।

17. यह सहमति हुई कि चालू वर्श में 811 टी.एम.सी के आबंटन के बाद उपलब्ध

जल किसी भी मंच के सामने दोनों राज्यों की स्थिति को आहत नहीं पहुँचाते हुए चालू वर्श के लिए संपूर्ण व्यवस्थाओं पर सहमती हुई ।

18. वर्तमान वर्ष के लिए मान्य किया गया संपूर्ण प्रबंधन दोनों राज्यों के लिए किसी भी मंच पर बिना किसी पक्षपात के होगा।

सभा को धन्यवाद ज्ञापित करके बैठक को समाप्त की गई ।

हस्ताक्षरित : दि.19.06.2015

ए.एन.दास

प्रधान सचिव, डब्ल्यू.आर.डी.

आं.प्र. सरकार

हस्ताक्षरित : दि.19.06.2015

एस.के.जोशी

प्रधान सचिव, आई व सी.ए.डी.

तेलंगाणा सरकार

हस्ताक्षरित: दि.19.06.2015

डॉ अमरजित सिंह

अतिरिक्त सचिव

जल संसाधन, नदी विकास व गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय

अनुलग्नक 3.1 का परिशिष्ट

कृष्णा बेसिन में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की परियोजनाएं

क्रम सं .	परियोजना का नाम	बचावत रिपोर्ट के अनुसार	पुन: आवंटन	क्षेत्रवार आवंटन			कुल
				रायलसीमा	तटीय आंध्र	तेलंगाना	
I	क्षेत्र में विशिष्ट परियोजनाएं						
1	कृष्णा डेल्टा	181.20	152.20	-	152.20	-	152.20
2	मुन्नेरू परियोजना	3.30	3.30	-	3.30	-	3.30
3	पाखल झील	2.60	2.60	-	-	2.60	2.60
4	वैयरा	3.70	3.70	-	-	3.70	3.70
5	पालेर	4.0	4.0	-	-	4.0	4.0
6	दिंडी	3.70	3.50	-	-	3.5	3.5
7	कुरनूल-कडप्पा नहर	39.90	31.90	31.90	-	-	31.90
8	कोइल सागर	3.90	3.90	-	-	3.90	3.90
9	तुंगभद्रा दाईं बांध् निचली सतह नहर	29.50	29.50	29.50	-	-	29.50
10	तुंगभद्रा दाईं बांध् उच्च सतह नहर- I&II	32.50	32.50	32.50	-	-	32.50
11	राजोलीबांध व्यपवर्तन योजना	15.90	15.90	-	-	15.90	15.90
12	भैरवानितिप्पा	4.90	4.90	4.90	-	-	4.90
13	मूसी	9.40	9.40	-	-	9.40	9.40
14	लंका सागर	1.0	1.0	-	-	1.0	1.0
15	वैकुंठपुरम पंपिंग योजना	2.60	2.00	-	2.0	-	2.0
16	कोटिपल्लिवागू	2.0	2.0	-	-	2.0	2.0

17	गुंटूर चैनल	4.0	4.0	-	4.0	-	4.0
18	ओकचिट्टिवागू	1.90	1.90	-	-	1.90	1.90
19	गाजुलदीने	2.0	2.0	2.0	-	-	2.0
20	जुरला बांध	17.84	17.84	-	-	17.84	17.84
21	सिकंदराबाद और हैदराबाद के जुड़वां शहरों में पानी की आपूर्ति	3.90	5.70	-	-	5.70	5.70
22	लघु सिंचाई	116.26	111.26	12.21	9.87	89.15	111.26
कुल (I)		**486.00**	**445.00**	**113.04**	**171.37**	**160.59**	**445.00**
II	आम(common)परियोजनाएं						
23	नागार्जुन सागर परियोजना	281.00	280.00		174.30	105.70	280.00
24	श्रीशैलम (वाष्पीकरणनुकसान)	33.00	33.00	11.00	11.00	11.00	33.00
25	चेन्नई शहर की जलापूर्ति		5.00	1.66	1.67	1.67	5.00
कुल(II)		**314.00**	**318.00**	**12.66**	**186.97**	**118.37**	**318.00**
III	**बचत और वापसी प्रवाह पर आधारित नई परियोजनाएँ**						
26	श्रीशैलम राइट ब्रांच नहर		19.00	19.00			19.00
27	पुलिचिंतला परियोजना		9.00		9.00		9.00
28	राजीव (भीमा) लिफ्ट योजना (जुरालतट के अगला भाग से)		20.00			20.00	20.00
29	Return flows	11.00					
कुल राशि (III)		**11.00**	**48.00**	**19.00**	**9.00**	**20.00**	**48.00**
कुल (I+II+III)		**811.00**	**811.00**	**144.70**	**367.34**	**298.96**	**811.00**

Note:

1. उपरोक्त कथन उन परियोजनाओं के स्थान के आधार पर तैयार किया गया है जिनके लिए आवंटन KWDT-I द्वारा किए गए हैं।

2. हैदराबाद जलापूर्ति योजना को 3.3 टीएमसी के उपभोग्य उपयोग के साथ लिया गया था, जो डिंडी प्रोजेक्ट से 0.2 टीएमसी, विकुंतपुरम पीएस से 0.6 टीएमसी, नागार्जुन सागर परियोजना से 1.0 टीएमसी जुड़वा शहरों की जलापूर्ति की दिशा में 3.9 टीएमसी में से 1.50 मिलियन टन की बचत के साथ किया गया था। (आंध्र प्रदेश सिंचाई विभाग G.O.Ms.No.19 दिनांक: 05-02-2003)

3.महबूबनगर जिले में भीम लिफ्ट सिंचाई परियोजना (20 टीएमसी) और पुलिचिंतला परियोजना (वाष्पीकरण नुकसान 9 टीएमसी) कृष्णा डेल्टा के आधुनिकीकरण द्वारा प्रस्तावित बचत पर आधारित हैं।। (सीडब्ल्यूसी की मंजूरी एडवाइजरी कमेटी के64वें meeting के पत्र संख्या 10/27/96-पीए (एन) / 502-550 दिनांक 16-04-1996)

4.श्रीशैलम राइट ब्रांच कैनाल को बचावतट्रिब्यूनल द्वारा आवंटित 11 टीएमसी के रिटर्न फ्लोऔर 8 टीएमसी के.सी. नहर प्रणाली के आधुनिकीकरण के कारण बचत के रास्ते लिया गया था ।(CWC ने सलाहकार समिति की 58 वीं बैठक की मंजूरी पत्र क्रमांक १६ / २ no / ९

5.ए.पी., कर्नाटक और महाराष्ट्र सरकार के बीच दिनांक 14-04-1976 के समझौते के अनुसार चेन्नई जल आपूर्ति के लिए एपी के योगदान के लिए आंध्र प्रदेशको5 टीएमसी पुनः आवंटनकिया गया।

6.श्रीशैलम जलाशय के लिए 33 टीएमसी का वाष्पीकरण नुकसान तीन क्षेत्रों के बीच समान रूप से दिखाया गया है।

7.नागार्जुन सागर परियोजना का आवंटन "नागार्जुन सागर परियोजना" के अनुसार दिखाया गया है, तीसरी संशोधित परियोजना अनुमान 2000"और वाष्पीकरण नुकसान आवंटन के अनुपात में शामिल है

आपका आभारी,

Sd/- dt.18-10-2013

मुख्य अभियन्ता(OSD), IS & WR

मुख्य अभियंता के लिए (OSD) / IS & WR

अनुलग्नक – **4.1.1**

THE ELEVENTH SCHEDULE
[See section 85(7) (e)]

Principles governing the functioning of the River Management Boards

1. The operation protocol notified by the Ministry of Water Resources with respect to water resources arrived at based on appropriate dependability criteria after the adjudication by the Krishna Water Disputes Tribunal shall be binding on both the successor States

2. In the event of conflicting demand of water for irrigation and power, the requirement of water for irrigation shall take precedence

3. In the event of conflicting demand of water for irrigation and drinking water, the requirement of water for drinking water purpose shall take precedence

4. The allocations made by the River Water Tribunals with regard to various projects on Godavari and Krishna Rivers or for the regions of the existing State of Andhra Pradesh, in respect of assured water shall remain the same

5. Allocations, if any, to be made on excess flows by any Tribunal in future shall be binding on both the State of Telangana and the successor State of Andhra Pradesh

6. While the successor State Governments shall be responsible for managing natural calamities, the Boards shall advise the two State Governments on the management of disaster or drought or flood in the rivers of Krishna and Godavari, particularly in reference to the release of water for the management and mitigation of the natural calamities. The Boards shall have the full authority to get their orders implemented by the two successor State Governments promptly and effectively in respect of operation of the head works of the dams, reservoirs or head works of canals and works appurtenant thereto including the hydel power projects, as notified by the Central Government, on Krishna and Godavari Rivers

7. No new projects based on water resources arrived at based on appropriate dependability criteria on Godavari or Krishna rivers can be taken up by the State of Telangana or the State of Andhra Pradesh without obtaining sanction from the Apex Council on River water resources. All such proposals shall be first appraised and technically cleared by the respective Board, before sanction by the said Apex Council

8. Execution of ongoing projects and future new projects on Godavari and Krishna rivers shall be the responsibility of the State Government concerned where the project is located

9. In case of non-implementation of the decision by either of the States, the defaulting State shall bear the responsibility and shall face financial and other penalties imposed by the Central Government

10. The following irrigation projects which are under construction shall be completed as per the plan notified by the existing State of Andhra Pradesh and the water sharing arrangement shall continue as such -

i. Handri Niva
ii. Telugu Ganga
iii. Galeru Nagiri
iv. Venegondu
v. Kalwakurthi
vi. Nettempadu

अनुलग्नक – **4.1.2**

THE TWELFTH SCHEDULE
(See section 92)

A. Coal

1. Of the total equity of Singareni Collieries Company Ltd. (SCCL), 51% shall be with the Government of Telangana and 49% with the Government of India

2. Existing coal linkages of SCCL shall continue without any change

3. New linkages shall be allotted to the successor States as per the New Coal Distribution Policy by Government of India

4. End use plants of the allocated coal blocks shall continue with coal from the block to be supplied in proportion to their respective capacities

B. Oil and Gas

1. Allocation of natural gas will continue to be done as per the policies and guidelines issued by the Government of India from time to time

2. The royalties payable on domestic onshore production of oil and gas shall accrue to the State in which such production takes place

C. Power

1. Units of APGENCO shall be divided based on geographical location of power plants

2. Existing Power Purchase Agreements (PPAs) with respective DISCOMS shall continue for both on-going projects and projects under construction

3. The existing Andhra Pradesh Electricity Regulatory Commission (APERC) shall function as a joint regulatory body for a period not exceeding six months within which time separate SERCs will be formed in the successor States

4. The existing State Load Despatch Centre (SLDC) shall function for both successor States for a period not exceeding two years within which time separate SLDC shall be set up for each successor State. During this period, the existing SLDC shall function under the direct administration and control of the Southern RLDC at Bengaluru.

5. Transmission lines of APTRANSCO of 132 KV and higher voltage cutting across the successor States shall be deemed as Inter-State Transmission System (ISTS) lines. The transmission lines falling within the territory of each successor State shall be transferred to the respective State Transmission Utilities. The maintenance of ISTS lines shall also be done by successor States in their respective jurisdictions

6. The power of the Central Generating Stations will be allotted in such ratio to the State of Telangana and the State of Andhra Pradesh based on the actual energy consumption of the last 5 years of the relevant DISCOMS in the respective successor State

7. For a period of ten years, the successor State that has a deficit of electricity shall have the first right of refusal for the purchase of surplus power from the other successor State

8. The districts of Anantapur and Kurnool which fall within the jurisdiction of the AP Central Power Distribution Company Ltd. will now be reassigned to the AP South Power Distribution Company Ltd.

अनुलग्नक – 5.1

ORGANIZATION CHART OF KRISHNA RIVER MANAGEMENT BOARD

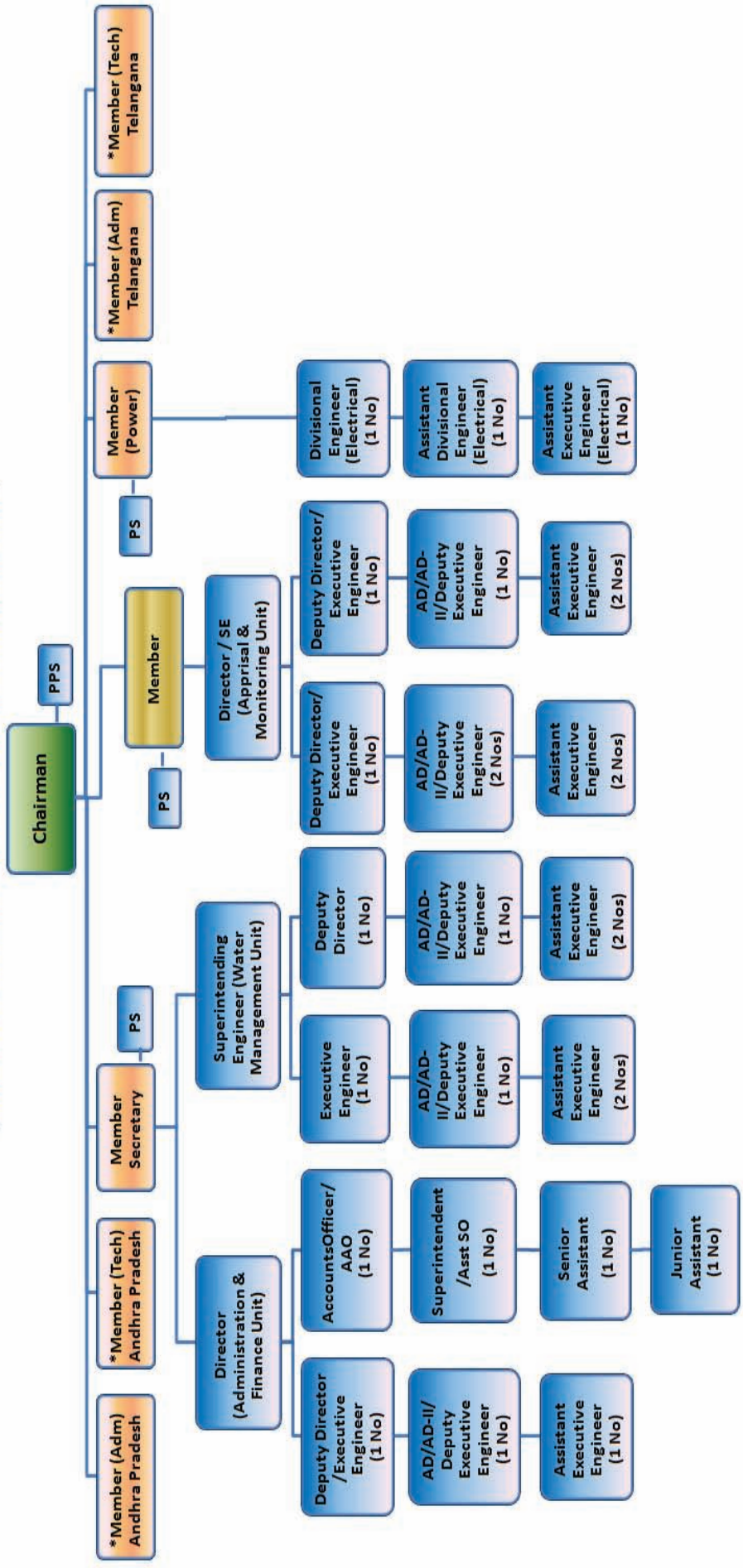

Note(*): Member (Adm), Member (Tech) are Members of KRMB but are not on sanctioned strength of KRMB

अनुलग्नक- 7.2

वर्ष् 2017-18 के दौरान श्रीशैलम और नागार्जुन सागर के आम जलाशयों से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना द्वारा आहरित जल (टीएमसी में)

क्रम सं	परियोजना का नाम	आं प्र द्वारा आहरित जल	टी एस द्वारा आहरित जल	कुल
I	श्रीशैलम			153.540
	i) पोथी रेड्डी पाडू हेड रेगुलेटर से (श्रीशैलम राइट ब्रांच नहर, तेलुगु गंगा परियोजना, आदि सहित)	89.12	---	
	हंड्री निवा सुजला श्रवति और मच्छुमारिलिफ्ट योजना	34.740	---	
	चेन्नई जल आपूर्ति	1.900	0.950	
	महात्मा गांधी कालवाकुर्ती लिफ्ट सिंचाई योजना	---	26.825	
II	नागार्जुन सागर परियोजना			
	नागार्जुन सागर राइट कैनाल (जवाहर नहर)	89.917	---	223.086
	ii) नागार्जुन सागर बाईं नहर (लाल बहादुर नहर - दोनों राज्यों के लिए सामान्य)	78.863		
	एलिमिनेटी माधव रेड्डी परियोजना (एएमआरपी) लिफ्ट सिंचाई योजना	---	35.894	
	हैदराबाद मेट्रो जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड			
	कृष्णा डेल्टा प्रणाली	18.412	---	
	कुल			**376.626**

अनुलग्नक- 7.3.1

चरण -I में टेलीमेटरी स्टेशनों की समेकित सूची

क्रम सं	टेलीमेट्री स्टेशन का नाम	राज्य
1	अक्कमपल्ली संतुलन जलाशय को जोड़ने वाली लिंक नहर की किमी 1.10 पर एएमआरपी लिफ्ट सिंचाई योजना	तेलंगाना
2	डायवर्सन टनल इनटेक टॉवर पर नागार्जुन सागर परियोजना (NSP) बांध	
3	0.44 केएम पर स्थित एनएसपी दाईं बैंक केनल हेड रैग्यूलेटर	आंध्र प्रदेश
4	सुरंग में पानी के प्रवेश बिंदु के पासएनएसपीबाएं किनारे की नहर जो एनएसपी एलबीसीपर नहर प्रमुख पावर हाउस के टीआरसीके संगम से लगभग 300 मीटर दूर है ।	तेलंगाना
5	एनएसपी एलबीसी के किमी 136.345 पर इंटेक संरचना परपालियर जलाशय।	
6	एनएसएलसी और पावरहाउस के संगम से 0.20 किमी की दूरी पर पलेयर जलाशय आउटलेट ।	
7	आंध्र प्रदेश तेलंगाना बॉर्डर पर101.362 किमी पर एनएसपी एलबीसी ।	आंध्र प्रदेश
8	सिसर्टन पर महात्मा गांधी कालवाकुर्ती एलआईएस	तेलंगाना
9	ब्लॉक नंबर 17/18 के पास श्रीशैलम जलाशय	आंध्र प्रदेश
10	एसएलबीपर 12.265 किलोमीटर परएसआरएमसी ऑफ पोथी रेड्डी के पदु हेड रेगुलेटर	
11	पुरानी पंप हाउस की किमी (1.62) पर पुलिया के पास हंड्री निवा सुजला श्रवति एलआईएस	
12	जुरला जलाशय	तेलंगाना
13	हेड रेगुलेटर के पास जुरला दाई मुख्य कैनाल	
14	हेड रेगुलेटर के पास जुरला दाई पैरेलल कैनाल	
15	भीमा LI योजना I लिफ्ट बिंदु पर	
16	कोइलसागर LI योजना लिफ्ट बिंदु पर	
17	हेड रेग्यूलेटर के पास जुरला दाईं मुख्य नहर	
18	नेट्मपाडू लिफ्ट बिंदु पर LI योजना	

अनुलग्नक- 7.3.2

चरण-II स्थित टेलीमेटरी स्टेशन की समेकित सूची

क्रम सं	टेलीमेट्री स्टेशन का नाम	राज्य
1	पुलिचिंतला एलआईएस (वेलतुर शिव गंगा)	तेलंगाना
2	पुलिचिंतला बांध (जलाशय)	आंध्र प्रदेश
3	D/S पुलिचिंतला बांध	
4	उपनदी मुन्नेरु (किसरा - एचडब्ल्यू ब्रिज)	
5	प्रकाश्म बैराज	
6	प्रकाशम बैराज काडाऊन/स्ट्रीम	
7	प्रकाशम बैराज की पश्चिम मुख्य नहर	
8	प्रकाशम बैराज की पूर्व मुख्य नहर	
9	पोलावरम नहर संगम	
10	सहायक नदी पलेरू (एनएच-65 पुल के पास)	तेलंगाना
11	सहायक नदी मुसी (दामचेरला)	
12	एनएस टेल तालाब (पोंदुगाला - एचडब्ल्यू पुल) का डाऊन/स्ट्रीम	आंध्र प्रदेश
13	बानकचेरलानियामक परिसर में एसआरबीसी एचआर (मौजूदा) का 0.7 किमीडाऊन/स्ट्रीम	
14	मुकुमरी एलआईएस (केसी नहर के पास पाइपलाइन एक्जिट बिंदू में पंप हाउस से 0.56 किमी)	

15	एनएच 167 पर कृष्णा नदी पुल; देसुगुर केंन्द्रीय जल आयोग कार्यस्थल ; दायां किनारा; कृष्णा और भीमा के संगम से 8 किमी नीचे की ओर	तेलंगाना
16	केंन्द्रीय जल आयोग कार्यस्थल कृष्णा अग्रहारम; कृष्णा नदी पर निचले जुरला बांध का 9.2 किमी	
17	कर्नाटक औरआंध्र प्रदेशसीमा के पास तुंगभद्रा दाईं हाई लेवल कैनाल 104.787 किमी	आंध्र प्रदेश
18	तुंगभद्रा दाईं लेवल कैनाल कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सीमा के पास 250 किमी	
19	तुंगभद्रा बोर्ड के गेज कुएं के पास 43.7 किलोमीटर पर राजोली बंदा व्यपर्वन योजना	तेलंगाना
20	कुरनूल कडप्पा नहर, एचआर से सनकेसुला बैराज पर 0.2 किमी	आंध्र प्रदेश
21	तुंगभद्रा नदी पर सुनकुसला बैराज के 12.5 किमी की दूरी पर बवापुरम में केंन्द्रीय जल आयोग कार्यस्थल	
22	डोड्डीपाडु गांव में केंन्द्रीय जल आयोग र्यस्थल; तुंगभद्रा और हंड्री नदियों के संगम से 14.8 किमी की दूरी पर।	
23	लिंगलगुट्टा स्थान के पास कृष्णा नदी पर श्रीशैलम बांध का 3 किमी बहाव	
24	कृष्णा नदी पर एसएच -2 पुल के पास नागार्जुन सागर बांध का 2 किमी बहाव	तेलंगाना
25	तेलुगु गंगा परियोजना (टीजीपी) नहर - उथुकोट्टई के पास आंध्र प्रदेशऔर तेलंगाना सीमा पर	आंध्र प्रदेश
26	सनकेसुला बैराज	

अनुलग्नक 7.6

आंध्रप्रदेश तथा तेलंगाणा राज्यों में कृश्णा नदी पर जल विद्युत केंद्रों के विवरण

क.सं	जल विद्युत परियोजना	क्षमता (मेगा वाट्)	एफ.आर.एल.	एम.डी.डी.एल.	बहाव	पंप पद्धति में प्रचालन सुविधा	राज्य
1.	प्रियदर्शनी जूराला	6x39	+318.516 मी	+314.86 मी	..	..	तेलंगाणा
2.	निछली जूराला	6x40	+299.000 मी	+294.00 मी	..	..	तेलंगाणा
3.	श्रीशैलम दायीं तट	7x110	+269.748 मी	+254.200 मी	..	..	आंध्रप्रदेश
4.	श्रीशैलम बायीं तट	6x150	+269.748 मी	+245.375 मी	..	पंप पद्धति प्रचालन के लिए सभी टर्बाइन प्रतिवर्ती प्रकार के हैं।	तेलंगाणा
5.	नागार्जुन सागर बांध	1x110+ 7x100.8	+179.832 मी	+154.230 मी	4700 क्यूसेक्स शर्त के अनुसार / 4300 क्यूसेक्स प्रति ईकाई प्रतिवर्ती के लिए	पंप पद्धति प्रचालन के लिए 7x100.30 मेगावाट टर्बाइन प्रतिवर्ती प्रकार का हैं।	तेलंगाणा
6.	नगार्जुन सागर दायीं नहर	3x30.6	+179.832 मी	+161.544 मी	5000 क्यूसेक्स प्रति ईकाई	..	आंध्रप्रदेश
7.	नागार्जुन सागर बायीं नहर	2x30.6	+179.832 मी	+167.030 मी	..	..	तेलंगाणा
8.	नागार्जुन सागर टेल पांड	2x25	+75.50 मी	+74.00 मी	..	..	आंध्रप्रदेश
9.	पुलिचिंतला	4x30	+53.34 मी	+42.67 मी	..	..	तेलंगाणा

प्रियदर्शनी जूराला परियोजना

अनुलग्नक–ए

प्रियदर्शनी जूराला परियोजना की मुख्य विशेषताएं

ए.अवस्थिति

अक्षांश	: 16^0 20' 15" उत्तर
रेखांश	: 77^0 42' 15" पूर्व
जलग्रहण क्षेत्र	: 1,29,499 वर्ग किमी (50,000 वर्ग मील)(महाराष्ट्र54%, कर्नाटक 43%, तेलंगाना3%)
व्यपक बाढ़ मुक्ति निकास	: 35,396 क्यूमेक (12.50 लाखक्यूमेक)
शुद्ध भरोसेमंद उपज	: 10,930 एमक्यूमेक (386 टीएमसी)
केडब्ल्यूडीटी आवंटन	:505.17 एमक्यूमेक(आं.प्र को आवंटित800टीएमसी से17.84)

बी.बाँध (पत्थर एवं सीमेंट कंक्रीट के साथ समग्र संरचना)

एफआरएल / एमडब्ल्यूएल	: +318.516 मी (+1045.00 फीट)
एमडीडीएल	: +314.858 मी (+1033.00 फीट)
एलएमएस&आरएमसी स्तर	: +312.420 मी (+1025.00 फीट)
क्रेस्ट स्तर	: +310.000 मी
सडक स्तर / कुल चौडाई / क्लियर सडक राह	: +325.000 मी / 8.40 मी / 5.30 मी
होस्ट प्लार्टफर्म स्तर	: +328.900 मी
अधिकरम जल स्तर	
12.50 लाख क्यूसेक	: +312.030 मी
कृष्णा / गहरा	: +301.360 मी / +297.800 मी
औसतन बेड स्तर	
औसतन बुनियादस्तर/ गहरा	: +294.000 मी / +285.000 मी
एफआरएल / एमडब्ल्यू एल संग्रहण	: 338.13 मीसंचयी(11.941 टीएमसी)

लाइव भंडारण (एमडीडीएलकेऊपर) : 192.50 मीसंचयी(6.798टीएमसी)

मृत भंडारण (एमडीडीएलकेनीचे) : 145.63 मीसंचयी(5.143 टीएमसी)

क्रिस्ट स्तर के ऊपर भंडारण310.000 एम: 309.19 मीसंचयी(10.919 टीएमसी)

जल विस्तार क्षेत्रएफआरएल/ एमडब्ल्यूएल: 67.68 वर्ग कि.मी(16,724 एकड) नदीकोर्ससहित

सीमाकेबीच बांधकीलंबाई: 1322 मी(स्पिलवे 927 एम&विद्युतब्लॉक 162 एम)

स्पिलवेद्वारोंकीसं. वमाप : 12 मी x 8.516 मीआकारके62 रेडियलद्वार

निकासगैलरी : 1.50 x 2.25 मी

भूमि बाँध

भूमि बांध की लंबाई : बाईओर 1.74 कि.मी,दाईओर 1.47 कि.मी

भूमि बांध की टीबीएल : +321.500 मी (+1054.79 वर्गफीट)

फ्री बोर्ड : 2.984 एम (9.79 वर्गफीट)

सडक की ओरभूमि बांध की चौढाई : 8 एम / 6.40 एम

मुख्य नियामक

एलएमसीएच/आर @ कि.मी **0.520** आरएमसीएच/आर@ कि.मी **3.720**

वेंट्सकीसंख्यावमाप2.5 x 2.0 मीके4 1.5 x 2.0 मीके4

सिल स्तर +312.420 मी (+1025.00 फीट)+312.420 मी (+1025.00 फीट) निकास 41.34 क्यूमिक (1460 क्यूसेक) 20.80 क्यूमिक (735 क्यूसेक)

मुख्यनहर

एलएमसी (एनटीआरनहर) आरएमसी (नालासोमनाद्रीनहर)

बेड / एफएसडीकीचौडाई

(अंतिरिमरीच) 21.00 मी / 1.95 मी 9.75 मी / 1.90 मी

बेडफॉल 9,000में1 5,800में1& 14,000में1नहरकीलंबाई

85.277 कि.मी 46.275 कि.मी

आयकट 69,117 एकड 35,657एकड

लाभान्वितमंडलआत्मकूर, कोत्तकोटागद्वाल, धारूर, इटिक्याला

पेब्बेरू, वीपनागंडला&मोनुपाडू&कोल्लपूर

नीलम संजीव रेड्डी सागर श्रीशैलम परियोजना

अनुलग्नक– बी

नीलम संजीव रेड्डी सागर श्रीशैलम परियोजना की मुख्य विशेषताएँ (संक्षिप्त विषय)

अ. स्थान

1.	राज्य	:	आंध्र प्रदेश
2.	जिला	:	कर्नूल व महबूबनगर जिला की सीमा
3.	अक्षांश	:	16–5′ उत्तर
4.	देशांतर	:	78–54′ पूर्व

आ. जल विज्ञान

आवाहन क्षेत्र : 2,06,030वर्ग कि.मी(79,530 वर्ग मील)

1. औसत वार्शिक वर्शा

अधिकतम : 1016एमएम (40इंच)

न्यूनतम : 635एमएम (25इंच)

2. आरेखन बाढ : श्रीशैलम 19लाख क्यूसेक्स पर 53770 क्यूमेक्स को 38.365 क्यूमेक्स को घटाया गया

3. नदी की गहरी तटीय स्तर : ईएल 152.4 मी (ईएल 500फीट)

4. न्यूनतम पूंछ जल स्तर : ईएल 163.00 मी (ईएल 535.00फीट)

5. अधिकतम बाढ स्तर : ईएल 187.25 मी ;ईएल 614.35 फीट)

इ. बांध

1. प्रकार : ग्रेविटी बांध

2. भीर्श ऊँचाई : ईएल275.54मी (ईएल 904.0फीट)

3. गहरे नींव स्तर से ऊपर की ऊँचाई : 143.26 मी (470फीट)

4. ऊँचाई पर कुल लंबाई : 512 मी (1680फीट)

ई. पक्कीढाल

1. शिखा पर अधिकतम बहाव क्षमता : 37.356 क्यूमेक्स (13,20,00क्यूसेक्स)

2. नदी का बहाव क्षमता : 1009 क्यूमेक्स (35,680क्यूसेक्स) एम.डब्ल्यू.एल पर जलमार्ग

3. एम.डब्ल्यू. एल पर कुल बहाव क्षमता : 38.365 क्यूमेक्स (13,55,680क्यूसेक्स)

4. पक्की ढाल का शिखर स्तर : ईएल 252.98 मी (ईएल 830.00फीट)

5. पक्की ढाल की कुल लंबाई : 266.39 मी

प्रशिक्षण दीवारों के बीच : (874फीट)

6. पक्की ढाल फाटक की संख्या : 12

माप : 18.3 मी X16.7 मी (60'X55')

7. नदी जलमार्ग संख्या : 2

माप : 3.65 मी X 9.14 मी (12 फीट X 30 फीट)

उ. जलाशय

1. अधिकतम जल स्तर : 271.88 मी (ईएल 892फीट)

2. पूरे जलाशय का स्तर : ईएल 269.75 मी (ईएल 885फीट)

3. कुल संग्रहण : 6110.9070 मिलियन क्यूबिक मीटर्स

एफ.आर.एल की क्षमता : (215.8070टी.एम.सी)

4. जल क्षेत्र : 541.90 वर्ग कि.मी

एफ.आर.एल पर : 209 वर्ग मील

एम.डी.डी.एल (आइ.आर.आर. के लिए) : 854.00 (260.30 मी)

संग्रहण क्षमता : 89.29 टी.एम.सी (2528.396 क्यूमेक्स)

एमडीडीएल(विद्युत के लिए) : 834.00 (254.20 मी)

संग्रहण क्षमता : 53.851 टीएमसी(1524.871 क्यूमेक्स)

शिखर स्तर : 830.00 (252.98 मी)

संग्रहण क्षमता : 49.49 टीएमसी(1401.387 क्यूमेक्स)

ऊ. विद्युत केंद्र

1. दायीं ओर की क्षमता : 7X110मेगा वाट्

2. बायीं ओर की क्षमता : 6X150मेगा वाट्

ऋ.आयकट&जलावंटन

श्रीशैलमदाईंशाखानहर : 1, 90, 000एकड(19.00टीएमसी)

चेन्नईजलापूर्ति : ------ (15.00 टीएमसी)

नागार्जुन सागर परियोजना

अनुलग्नक– सी

नागार्जुन सागर परियोजना की मुख्य विशेषताएँ (संक्षिप्त विषय)

अ. स्थान

अक्षांश	:	16	34′	23″	उत्तर
देशांतर	:	79	18′	47″	पूर्व

आ. जल विज्ञान

बांध पर आवाहन क्षेत्र	: 83,083 वर्ग मील (2,15,185वर्ग कि.मी)
आवाहन क्षेत्र में अधिकतम	: 35इंच (889 एम.एम)वार्शिक वर्शा
पाया गया अधिकतम बाढ	: 30,050 क्यूमेक्स (10.61लाख क्यूसेक्स)
1000 वर्श आरेखित बाढ	: 58,340 क्यूमेक्स (20.60लाख क्यूसेक्स)
कराई बाढ	: 45,310 क्यूमेक्स (16.00लाख क्यूसेक्स)

इ. जलाशय

एफ.आर.एल	: +590.00 फीट (+179.832 मी)
अधिकतम जल स्तर	: +594.00 फीट (+181.051 मी)
एम.डी.डी.एल	: +510.00 फीट (+155.450 मी)
जल क्षेत्र	: 110 वर्ग मील (285 वर्ग कि.मी)
+510.00 फीट के ऊपर संग्रहण	: 181 टी.एम.सी

ई. चिनाई बांध

पक्कीढाल बांध की लंबाई	: 1545 फीट (470.916 मी)
प्रवाह से अधिक न होने वाली	:3211 फीट (978.612 मी) बांध की लंबाई
चिनाई बांध की कुल लंबाई	: 4756 फीट (1449.628 मी)
गहरे नींव स्तर से ऊपर की ऊँचाई	: 409 फीट (124.663 मी)
बांध की शीर्ष चौडाई	: 28 फीट (8.534 मी)
अधिकतम आधार चौडाई	: 320 फीट (97.536 मी)
शीर्ष पर सडक की संपूर्ण चौडाई	: 30 फीट 9 इंच (9.373 मी)

गहरी नींव स्तर : +196.00 फीट (+59.741 मी)

औसत नदी तल स्तर : +245.00 फीट (+74.676 मी)

पक्कीढाल शिखर स्तर : +546.00 फीट (+166.421 मी)

शिखर फाटक का भीर्श : +590.00 फीट (+179.832 मी)

बांध का शीर्ष : +605.00 फीट (+184.404 मी)

फ्लिप बकट का औंधा स्तर : +240.00 फीट (73.15 मी)

शिखर फाटक (क्रेस्टगेट) : संख्या 26

मापः 45'x44'(13.716 मी x13.410 मी)

शूट चुट जलमार्ग : द्वार 2

मापः10'x25'+450'(137.16 मी) पर देहलीज के साथ

(+549.00 फीट तक प्रचालन) फाटकों को पूरी तरह से खोलने पर 17,000 कूसेक्स का बहाव

मोड सुरंग : 10'x25' माप के दो देहलीज

(+560.00 फीट तक प्रचालन): फाटकों को पूरी तरह से खोलने पर 20,000 कूसेक्स का बहाव

दायीं नहर मुख्य जलमार्ग : द्वार 9

मापः 10'x15' +489'(149.047 मी) पर देहलीज के साथ

बायीं नहर मुख्य जलमार्ग : द्वार 3

मापः 10'x25'+489' (149.047 मी) पर देहलीज के साथ

उ. मृदा बांध

दायीं धरती बांध की लंबाई : 8400 फीट (2560.32 मी)

बायीं धरती बांध की लंबाई : 2800 फीट (853.44 मी)

कुल लंबाई : 11,200 फीट (3413.76 मी)

अधिकतम ऊँचांई : 85 फीट (25.908 मी)

शिखर पर चौडाई : 30 फीट 6"(9.296 मी)

शिखर स्तर : +610 फीट (+185.958 मी)

ऊ. विद्युत उत्पादन

जलद्वार : 16.00 फीट डया (4.88 मी)

मध्य रेखा ऊँचाई : +405.00 फीट (+123.40 मी)

विद्युत इकाईयाँ : संख्या एक, भार्त के अनुसार (110मे.वा क्षमता के साथ)

एम.डी.डी.एल. : +506.00 फीट (+154.23 मी) भार्त के अनुसार +495.00 फीट (+150.88 मी)

बहाव क्षमता : 4,700 क्यूसेक्स (133.09क्यूमेक्स)(भार्त के अनुसार) 4,300 क्यूसेक्स (121.76क्यूमेक्स) (प्रतिवर्ती के लिए)

दायीं नहर विद्युत **केंद्र**

जल मार्ग : 3 संख्या 15'x38'(4.57 मी x38 मी)

देहली स्तर : +479.00 फीट (146.00मी)

ईकाईयाँ : भार्त के अनुसार तीन

क्षमता : 30मे.वा

बहाव क्षमता : प्रत्येक की 5,000 क्यूसेक्स

बायीं नहर विद्युत **केंद्र** : दो इकाईयॉ

<u>आयकट&जलावंटनएन.एस.आर.सी.</u>

गुंटूर जिला : 2.70 लाख हेक्टार (6.68 लाख एकड़)

प्रकाशम जिला : 1.80 लाख हेक्टार(4.45 लाख एकड़)

कुल : 4.50लाख हेक्टार(11.13लाख एकड़)

एन.एस.आर.सी

नल्गोंडा जिला : 1.54 लाख हेक्टार(3.81 लाख एकड़)

खम्मम जिला : 1.12लाख हेक्टार(2.77लाख एकड़)

कृष्णा जिला : 1.52लाख हेक्टार(3.76लाख एकड़)

पश्चिमी गोदावरी जिला : 0.03 लाख हेक्टार(0.07लाख एकड़)

कुल :4.21 लाख हेक्टार(10.41लाख एकड़)

सिकंदराबाद एवं हैदराबाद

नगरद्वय को पेयजलापूर्ति : 5.70 टीएमसी

प्रकाशम बराज

अनुलग्नक- डी

प्रकाशम **बराज**की मुख्य विशेषताएँ (संक्षिप्त विषय)

अ.अवस्थिति

अक्षांश	: 16° 30' 34" उत्तर
रेखांक्ष	: 80° 37' 57" पूर्व
कुल जलग्रहण क्षेत्र(वर्गकिमी)	: 251372
मोड क्षमता क्षेत्र(जल विस्तार क्षेत्र)	: 30.00 वर्ग कि.मी
उत्प्लव मार्ग / गेट्स	: 70 संख्या 12.19 एमx 3.66 एमप्रत्येक
परिशोधित जल मार्ग बाईं ओर	: 6 संख्या5.18 एमx 3.66 एमप्रत्येक
दाईं ओर	: 8 संख्या5.18 एमx 3.66 एमप्रत्येक
स्तर	
नियामक तल	: + 12.21 एम (+40.05 फीट)
गृहतल परिशोधित निकास	: + 11.06 एम (+36.30 फीट)
नियामक द्वार के सिल स्तर	: + 13.73 एम (+45.05 फीट)
एफआरएल	: + 17.39 एम (+57.05 फीट)
नियामक क्षेत्र पर रिवर बेड की औसतनक्षेत्र	: + 11.28 एम (+37.00 फीट)
सीतानगरम मेंनिचला स्तर	: + 8.53 एम (+28.00 फीट)
निचला जलमार्ग	
विजयवाडानिचला जलमार्ग	: + 9.69 एम (+31.80 फीट)
कुओं का तल	: + 4.88 एम (+ 16.00 फीट)
बाँध (अभिकल्पित) का एम.एफ.एल	: + 22.13 एम (+72.60 फीट)
बीम्स टी का निचलास्तर	: + 23.65 एम (+ 77.60 फीट)
ब्रिज पर रोड का ऊपरी रास्ता	: + 25.02 एम (+ 82.10 फीट)
होइस्ट ब्रिज नियामक का शीर्ष	: + 30.36 एम (+ 99.06 फीट)
शटर्स की लंबाई	: 3.66 एम (+ 12-0 फीट)
कटऑफ कुओं के आकार की तीन पंक्तियाँ	: 2.13 एमx 3.81 एम (7 फीटx 12.5 फीट)

आ.रिकॉर्ड एम.एफ.एल.	एनिकट	बराज
एम.एफ.एल.रिकॉर्ड	07-10-1903	05-10-2009
फ्रंट में स्तर	+21.50 एम (+70.55 फीट)	+ 20.97 एम(+68.78 फीट)
रियर स्तर	+ 20.73 एम (+68.00 फीट)	+ 20.57 एम (+67.50 फीट)
अधिकतम बहाव	33,700क्यूमेक्स(11,90,000 सी/एस)	31,431 क्यूमेक्स(11,10,000 सी/एस)
अंतर्विरोध कारण एफ्लक्स	0.66 m (2.16 फीट)	-

इ.पूर्वी डेल्टा मुख्य जलद्वार

निकास	: 6 संख्या 6.10 एमx 3.35 एम (20 x 11 फीट) प्रत्येक
बहाव	: 300 क्यूमेक्स (10, 600 सी/एस)
आयकट	: 2,98,260 हा (7.37 लाख ए)
मुख्य नहरों की लंबाई	: 370 कि.मी

ई.पश्चमी डेल्टा मुख्य जलद्वार

निकास पुरानी (निर्जीव)	: 15 सं. 1.83 एम x 2.90 एम (6x9.5 फीट) प्रत्येक
निकासनई (निवर्तमान)	: 16 Nos 2.44 एम x 2.90 एम (6x9.5 फीट) प्रत्येक
बहाव	: 232 क्यूमेक्स (8,200 सी/एस)
आयकट	: 2,31,080 हा (5.71 लाख ए)
मुख्य नहरों की लंबाई	: 322 कि.मी

कृष्णा बेसिन में हाइड्रोलॉजिकल स्टेशनों को अवलोकन कराने वाले मानचित्र

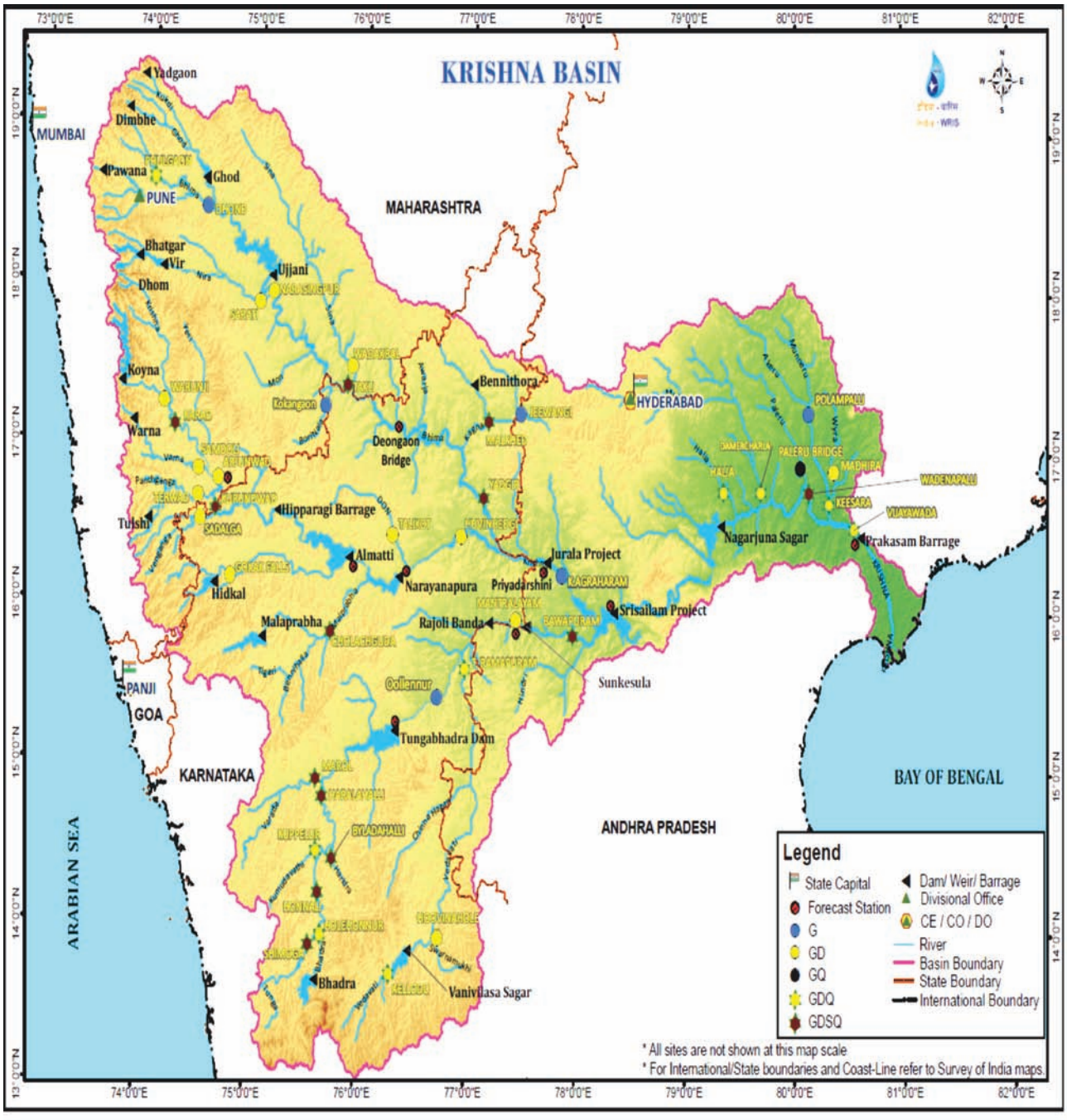

कृष्णा नदी के प्रमुख विद्युत परियोजनाओं का विवरण

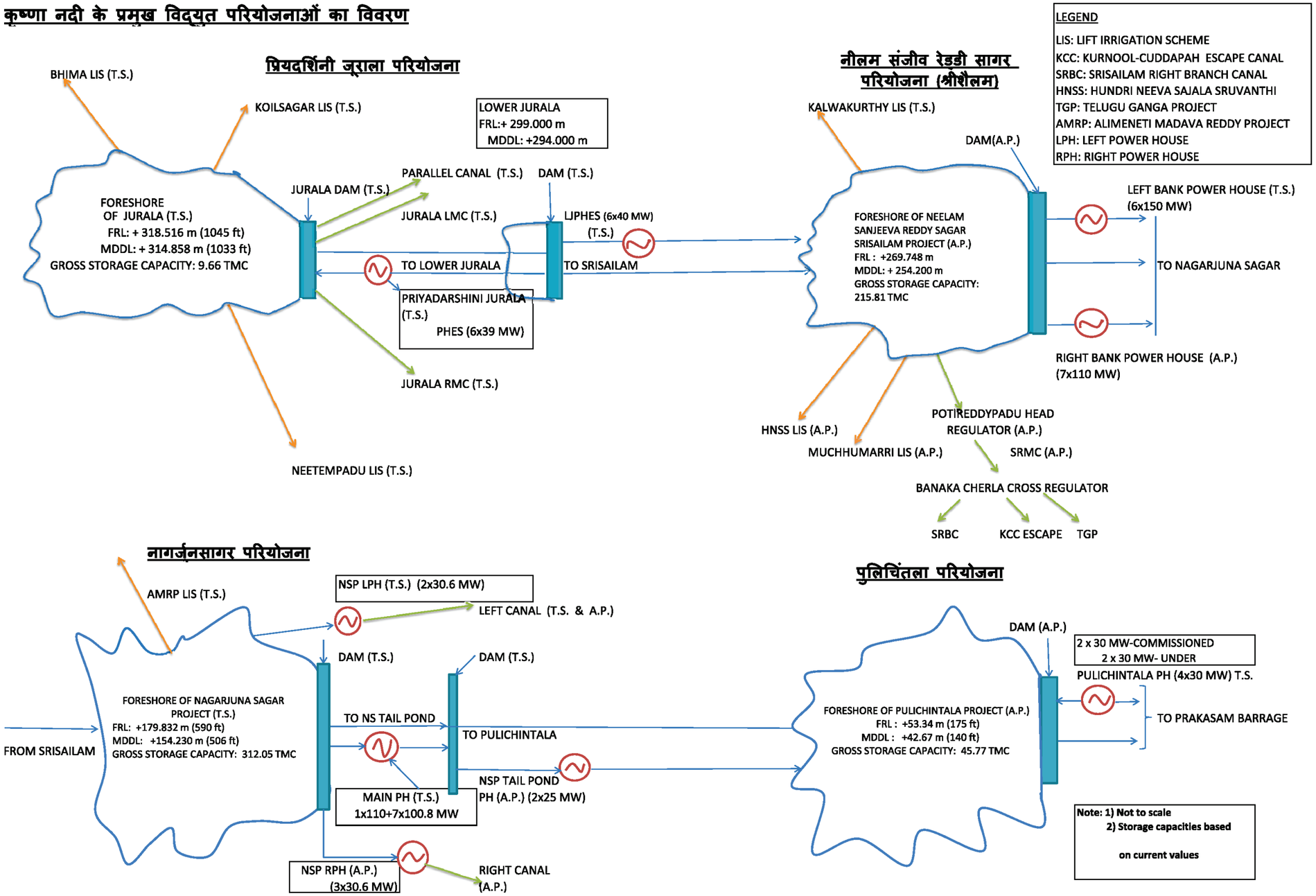

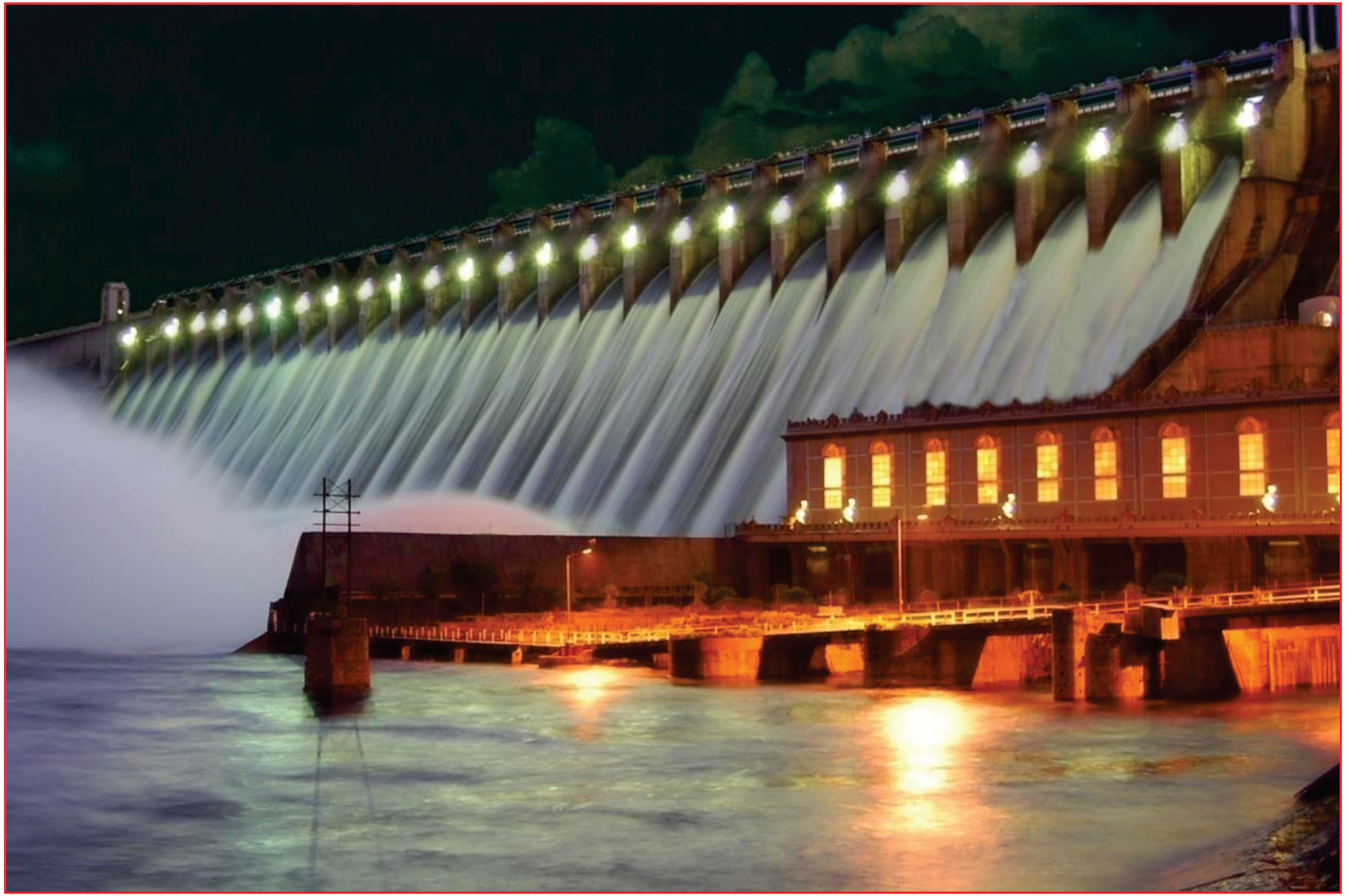

नागार्जुन सागर परियोजना

केआरएमबी में स्थापित टेलीमेट्री स्टेशन

कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड

5वाँ तल, जलसौधा, एर्रम-मंजिल,हैदराबाद – 500 082

दूरभाष्: 040-23301858; **फैक्स**: 040-23301655

ई-मेल: *krmb.hyd@gmail.com;*